

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर
वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
(वित्त मंत्रालय)

2022 की प्रतिवेदन संख्या 32

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर

प्रतिवेदन

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

आर्थिक कार्य विभाग

(वित्त मंत्रालय)

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32

विषय-सूची

शीर्षक	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य तथा उपलब्धियां	7
अध्याय 3: सरकारी ऋण, गारंटी और ऋण स्थिरता का विश्लेषण	15
अध्याय 4: राजकोषीय नीति विवरण में अनुमान व वास्तविक	23
अध्याय 5: प्रकटीकरण और पारदर्शिता	35
अनुलग्नक	41

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को, वित्तीय वर्ष 2014-15 से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के तहत बनाए गए नियम 8 के तहत, एफआरबीएम अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करने और की गई समीक्षा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन पर सीएजी की यह छठी रिपोर्ट है। 01 अप्रैल 2018 से, अधिनियम और नियमों में प्रभावी रूप से संशोधन के बाद, यह तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट एफआरबीएम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों और राजकोषीय नीति विवरणों में लगाए गए अनुमानों के साथ वास्तविक की तुलना करती है और प्रकटीकरण विवरणों में सूचना की पर्याप्तता की जांच करती है।

रिपोर्ट में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो 2020-21 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए। 2020-21 से पहले की अवधि से संबंधित मामले, जिनका राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ता है, जहां प्रासंगिक हो वहाँ उन्हें भी शामिल किया गया है।

कार्यकारी सार

अध्याय 1: परिचय

वित्तीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन विधेयक दिसंबर 2000 में समिति की सिफारिशों के अनुरूप संसद में पेश किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने और राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाना है। एफआरबीएम नियम 2004 को अधिनियम की धारा 8 के तहत तैयार किया गया था और ये जुलाई 2004 में लागू हुए। एफआरबीएम अधिनियम को 2004, 2012, 2015 और 2018 में संशोधित किया गया है।

वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से सम्मिलित अधिनियम की धारा 7ए, में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करने का प्रावधान है और ऐसी समीक्षा की रिपोर्ट संसद के दोनों सदन के पटल पर रखी जाएगी। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 8 में यह प्रावधान है कि वार्षिक समीक्षा वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के संबंध में एक गैर-मानक वर्ष था। कोविड-19 महामारी ने 2020 में वैश्विक संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी को जन्म दिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया।

वर्तमान में लागू एफआरबीएम तंत्र यह अनिवार्य करता है कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक सीमित करे और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक और केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास करे।

इसके अलावा, अधिनियम के नियम 3 के साथ पठित धारा 4(1)(ए) के अनुसार वर्ष 2018-19 से राजकोषीय घाटा (एफडी) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की वार्षिक कमी को हासिल किया जाना अनिवार्य है जिसे वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य था।

गारंटियों के संबंध में, एफआरबीएम तंत्र यह प्रदान करता है कि केंद्र सरकार 2004-05 से शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में, सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत से अधिक सीएफआई की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

[पैरा 1.1 और पैरा 1.2]

अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य तथा उपलब्धियां

नियम 7 के साथ पठित धारा 7 केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की मध्य वर्ष (सितंबर के अंत) की समीक्षा निर्धारित करती है। यदि समीक्षा के परिणाम से पता चलता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बीई के 40 प्रतिशत से कम हैं, और (ii) आरडी और एफडी वर्ष के लिए बीई के 70 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्रभारी मंत्री पहली छमाही की समाप्ति के तुरंत बाद के सत्र के दौरान संसद में एक विवरण देगा, जिसमें किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण होगा।

[पैरा 2.1]

प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की मध्य-वर्ष की समीक्षा के दौरान, यह सामने आया कि गैर-ऋण प्राप्ति, लक्षित स्तर से 14.83 प्रतिशत कम वसूल की गई थी। हालांकि, 30 सितंबर 2020 तक राजस्व घाटा 55.20 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 70 प्रतिशत के लक्षित स्तर से 44.80 प्रतिशत अधिक था।

[पैरा 2.3]

केंद्र सरकार के वित्त खातों और वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹19,75,314 करोड़ था, जो मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का 9.98 प्रतिशत था। हालांकि, बीएजी में दिखाया गया राजकोषीय घाटा, ₹18,18,291 करोड़ था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 9.18 प्रतिशत था।

[पैरा 2.7]

अध्याय 3: सरकारी ऋण, गारंटी और ऋण स्थिरता का विश्लेषण

वर्तमान में लागू एफआरबीएम फ्रेमवर्क, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास करेगा।

अधिनियम में परिभाषित 2020-21 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज ₹1,21,91,608 करोड़ था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 61.57 प्रतिशत था।

[पैरा 3.1.1]

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रही है।

[पैरा 3.2.2]

ईबीआर सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा बाजार से जुटाए गए संसाधन हैं, अर्थात् कंपनियां, निगम और स्वायत्त निकाय, और उनका उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। प्रासंगिक वर्ष के लिए वित्तीय संकेतकों की गणना में ईबीआर का उपयोग करके किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। मौजूदा लेखा ढांचे और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में सरकार के खातों में इस तरह के वित्तपोषण के पूर्ण चित्रण का प्रावधान नहीं है। 2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सेवित बांड जारी करने के माध्यम से ₹26,665.10 करोड़ की राशि जुटाई गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ईबीआर के माध्यम से एकत्रित संचयी निधि ₹1,38,535.50 करोड़ थी।

[पैरा 3.3]

ऋण स्थिरता को सरकार की उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसमें सरकार एक अवधि में जीडीपी अनुपात में निरंतर समान ऋण बनाए रखे और अपने ऋण को चुकाने की क्षमता रखे। ऋण स्थिरता विश्लेषण से पता चला है कि जहां 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऋण-जीडीपी अनुपात लगभग 49 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 और 2020-21 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। ऋण वृद्धि दर ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः 52.33 प्रतिशत और 61.57 प्रतिशत बढ़ गया।

ऋण पर औसत ब्याज लागत में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी, जो 2016-17 में 6.81 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 6.35 प्रतिशत हो गई, लेकिन ऋण पर चुकाया गया वास्तविक ब्याज पांच साल की अवधि में लगातार बढ़ता गया। 2016-17 में भुगतान किया गया ब्याज ₹5,04,512 करोड़ था जो समग्र ऋण के विस्तार के कारण बढ़कर ₹2020-21 में 7,20,984 करोड़। इस प्रकार, यद्यपि समग्र ऋण भार बढ़ रहा था, सरकार कम लागत वाली निधियां प्राप्त करने में सक्षम थी।

[पैरा 3.4]

अध्याय 4: राजकोषीय नीति विवरण में अनुमान व वास्तविक

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केंद्र सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण (एफएएस) और अनुदान की मांग के साथ दोनों सदनों में राजकोषीय नीति विवरण अर्थात्, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह वित्तीय नीति रणनीति (एमटीएफपी सह एफपीएस) विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (एमईएफ) विवरण रखना आवश्यक है। मध्यावधि व्यय ढांचा (एमटीईएफ) विवरण उस सत्र के तुरंत बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें उपर्युक्त अन्य नीतिगत विवरण प्रस्तुत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए एमटीईएफ विवरण संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया।

[पैरा 4.1]

अध्याय 5: प्रकटीकरण और पारदर्शिता

एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते समय, निर्धारित वित्तीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का निर्धारित प्रारूप (डी-1 से डी-5) में प्रकटीकरण करेगी।

विभिन्न प्रकटीकरण विवरणों में शामिल जानकारी यूजीएफए में निहित आंकड़ों के अनुरूप नहीं थी, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की जाती है।

[पैरा 5.2]

अध्याय

1

परिचय

परिचय

अध्याय

1

1.1 एफआरबीएम अधिनियम

वित्तीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन विधेयक दिसंबर 2000 में समिति की सिफारिशों के अनुरूप संसद में पेश किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय बाधाओं को दूर करके राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने और राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाना है। एफआरबीएम नियम 2004 को अधिनियम की धारा 8 के तहत तैयार किया गया था और ये जुलाई 2004 में लागू हुए। एफआरबीएम अधिनियम को 2004, 2012, 2015 और 2018 में संशोधित किया गया है।

वर्तमान में लागू एफआरबीएम तंत्र यह अनिवार्य करता है कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक सीमित करे और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक और केंद्र सरकार ऋण के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रयास करे।

अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद से प्रावधानों का एक संक्षिप्त विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: एफआरबीएम अधिनियम/ नियम की तुलनात्मक स्थिति

(जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में आंकड़े)

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य विवरण	मुख्य अधिनियम/ नियम	पहला संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
1. राजस्व घाटा ¹	लक्ष्य	शून्य	शून्य	2	2	कोई लक्ष्य नहीं
	वार्षिक कमी	0.5	0.5	0.6	0.4	
	वित्तीय वर्ष जिसमें शुरुआत हुई	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	
	अंतिम निर्धारित तिथि	31.03.08	31.03.09	31.03.15	31.03.18	

¹ नियम 2(सीए) राजस्व घाटे को राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित करता है।

2.	राजकोषीय घाटा ²	लक्ष्य	3	3	3	3	3
		वार्षिक कमी	0.3	0.3	0.5	0.4	0.1
		वित्तीय वर्ष जिसमें शुरुआत हुई	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	2018-19
		अंतिम निर्धारित तिथि	31.03.08	31.03.09	31.03.17	31.03.18	31.03.21
3.	प्रभावी राजस्व घाटा ³	लक्ष्य	2012 में शुरू		शून्य	शून्य	कोई लक्ष्य नहीं
		वार्षिक कमी			0.8	0.5	
		वित्तीय वर्ष जिसमें शुरुआत हुई			2013-14	2015-16	
		अंतिम निर्धारित तिथि			31.03.15	31.03.18	
4.	गारंटी	2004-05 से शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत से अधिक, सीएफआई की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के लिए कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं	
5.	देयता/ ऋण	2004-05 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देनदारियों (वर्तमान विनिमय दर पर बाहरी ऋण सहित) को स्वीकार नहीं करना और प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत अंक से सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की सीमा को उत्तरोत्तर कम करना।				2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण और केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।	

1.2 एफआरबीएम अधिनियम तथा नियम की मुख्य विशेषताएँ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागू रूपरेखा के अनुसार, केंद्र सरकार,

- ✓ 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को **सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक** सीमित करने के लिए उचित उपाय करे;
- ✓ वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सुनिश्चित करने का प्रयास कि:
 - सामान्य सरकारी ऋण **सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से अधिक न हो;**
 - केंद्र सरकार का ऋण **सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो;**

² धारा 2(ए) वित्तीय वर्ष के दौरान (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) निधि में कुल प्राप्तियों से अधिक, ऋण की अदायगी को छोड़कर, भारत की समेकित निधि से कुल संवितरण से अधिक के रूप में राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है।

³ प्रभावी राजस्व घाटा का अर्थ है पूंजीगत परिसंपत्ति अर्जित करने के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर। (एफआरबीएम अधिनियम संशोधन 2012 की धारा 2 (एए))

- ✓ किसी भी वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में, **सकल घरेलू उत्पाद के आधा प्रतिशत से अधिक** अतिरिक्त गारंटी न देना।
- ✓ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि राजकोषीय घाटे, केंद्र सरकार के ऋण और सामान्य सरकारी ऋण के लिए निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य तिथियों के बाद पार न हों।

[धारा 4(1)]

- केंद्र सरकार वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय VIII के भाग XV के प्रारंभ होने की तिथि और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राजकोषीय घाटे में कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगी।

[धारा 4(2)]

- केंद्र सरकार कुछ विशेष⁴ परिस्थितियों को छोड़कर रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी।

[धारा 5(1)]

- बजट के साथ रखे जाने वाले नियमों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, गारंटी, परिसंपत्ति रजिस्टर और वार्षिक परियोजनाओं पर देयता के संबंध में पांच प्रकटीकरण प्रपत्र (डी-1 से डी-5)⁵ निर्धारित किए गए हैं।

[नियम 6]

- वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, अर्ध-वार्षिक आधार पर, बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के परिणाम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे।

[धारा 7(1)]

- केंद्र सरकार अपने खातों का एक मासिक विवरण तैयार करेगी।

[धारा 7(1ए)]

1.3 लेखापरीक्षा दायरा और मानदंड

वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से, एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एक संशोधन किया गया था और भारत के सीएजी द्वारा समय-समय पर समीक्षा के लिए अधिनियम की धारा

⁴ नकद प्राप्ति, प्राथमिक निर्गमों की सदस्यता और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा, आदि के आधार पर और द्वितीयक बाजार में खुले बाजार के संचालन पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए।

⁵ प्रकटीकरण प्रपत्र (डी 1) - कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया, (डी 2) - गैर-कर राजस्व का बकाया, (डी 3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटी, (डी 4) - परिसंपत्ति रजिस्टर, और (डी 5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता।

7⁶ को शामिल किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में, एक नया नियम 8 डाला गया, जो सीएजी को केंद्र सरकार के नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधान की अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने के लिए निर्धारित करता है, जो वित्तीय वर्ष 2014 -15 से शुरू होता है। समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- क) अधिनियम में निर्धारित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुपालन और उपलब्धि तथा उसके तहत बनाए गए नियम, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह वित्तीय नीति रणनीति वक्तव्य, वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यम अवधि के व्यय रूपरेखा विवरण का विश्लेषण;
- ख) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और वृहद-आर्थिक मापदंडों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण;
- ग) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति या देयताओं के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां;
- घ) अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रकटीकरण का विश्लेषण।

अगस्त 2022 तक सीएजी के पांच प्रतिवेदन संसद में पेश किए गए हैं।

क्रम संख्या	सीएजी प्रतिवेदन	वित्तीय वर्ष जिससे रिपोर्ट संबंधित है
1	2016 की प्रतिवेदन संख्या 27	2014-15
2	2017 की प्रतिवेदन संख्या 32	2015-16
3	2018 की प्रतिवेदन संख्या 20	2016-17
4	2021 की प्रतिवेदन संख्या 06	2017-19
5	2022 की प्रतिवेदन संख्या 18	2019-20

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

2020-21 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन पर समीक्षा मुख्य रूप से आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय पर की गई थी। जो एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। प्रतिवेदन, केंद्र सरकार के वित्त खातों (यूजीएफए) 2020-21, बजट सार (बीएजी) 2021-22, व 2022-23 और वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) 2021-22, व 2022-23 से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों

⁶ समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना - केंद्र सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को आवश्यकतानुसार समय-समय पर समीक्षा करना सौंप सकती है, इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

(ईबीआर) से संबंधित व्यय रूपरेखा के विवरण संख्या 27 में प्रस्तुत डेटा, पीएसई के प्रमाणित वार्षिक खाते और संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी जीडीपी डेटा का विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों की सूची **अनुलग्नक 1.1** में विस्तृत रूप से है।

29 जून 2022 को एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। मसौदा रिपोर्ट 02 सितंबर 2022 को वित्त मंत्रालय को जारी की गई थी और उत्तर प्रतीक्षित है।

1.5 प्रतिवेदन की संरचना

वर्तमान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफआरबीएम (संशोधन) नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार भारत के सीएजी द्वारा वार्षिक समीक्षा है। अध्याय 1 में एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के अधिदेश के बारे में चर्चा की गई है, जबकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अगले **अध्याय 2 से 5** में की गई है।

अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य तथा उपलब्धियां - इसमें 2020-21 के लिए अधिनियम/ नियमों के तहत निर्धारित कम लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि; आरडी/ एफडी/ एनडीआर के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क, और एफडी रखने के लिए वार्षिक कमी/ अवधि-अंतिम लक्ष्य का विश्लेषण शामिल है।

अध्याय 3: सरकारी ऋण, गारंटी और ऋण स्थिरता का विश्लेषण - केंद्र सरकार के ऋण, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों, भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के प्रवृत्ति विश्लेषण और केंद्र सरकार के ऋण के स्थिरता संकेतकों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 4: राजकोषीय नीति विवरण में अनुमान व वास्तविक - इसमें 2018-19 से 2021-22 तक एमटीएफपी-सह-एफपीएस विवरण में किए गए अनुमानों का, 2021-22 और 2022-23 के एमईएफ विवरण के वास्तविक के साथ विश्लेषण शामिल है।

अध्याय 5: प्रकटीकरण और पारदर्शिता - यूजीएफए और बजट दस्तावेजों के संदर्भ में प्रकटीकरण विवरण में डेटा में अंतर से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय

2

एफआरबीएम लक्ष्य
तथा उपलब्धियां

एफआरबीएम लक्ष्य तथा उपलब्धियां

अध्याय

2

2.1 एफआरबीएम लक्ष्य

एफआरबीएम अधिनियम 2003 और एफआरबीएम नियम 2004, ने अप्रैल 2018 में किए गए नवीनतम संशोधन के साथ, 2020-21 तक प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय संकेतकों के लिए लक्ष्य और बेंचमार्क निर्धारित किए। वे इस प्रकार हैं:

क. अधिनियम के नियम 3 के साथ पठित धारा 4(1)(ए) में, 2020-21 के अंत तक 3 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, 2018-19 से सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर राजकोषीय घाटा (एफडी) की वार्षिक कमी अनिवार्य।

ख. नियम 7 के साथ पठित धारा 7 में वर्ष के मध्य (अर्थात् सितंबर के अंत में) प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा का प्रावधान है। यदि समीक्षा के परिणाम से पता चलता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बीई के 40 प्रतिशत से कम हैं, और (ii) आरडी और एफडी वर्ष के लिए बीई के 70 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्रभारी मंत्री सुधारात्मक उपायों का विवरण देते हुए पहली छमाही की समाप्ति के तुरंत बाद सत्र के दौरान संसद में विवरण देगा।

वित्तीय संकेतकों के लिए उपर्युक्त लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धि की स्थिति और सीमा, और 2020-21 के दौरान मध्य-वर्ष की समीक्षा के परिणाम की चर्चा इस अध्याय के अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.2 केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव

वर्ष 2020-21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के निष्पादन के संबंध में एक गैर-मानक वर्ष था। कोविड-19 महामारी से 2020 में वैश्विक संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठहरा दिया। कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया मानवीय सिद्धांत पर आधारित है कि खोए हुए मानव जीवन को वापस नहीं लाया जा सकता है, जबकि महामारी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में आई अस्थायी कमी से उबरा जा सकता है। अपनी रणनीति को लागू करने के लिए भारत ने (i) रोकथाम के उपायों, (ii) आवश्यक चीजों पर राजकोषीय समर्थन (iii) वित्तीय उपायों और (iv) लंबे - अवधि के संरचनात्मक सुधार की चार आयामी अग्रिम और सक्रिय रणनीति अपनाई।

2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान 3 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तय किया गया था। संशोधित अनुमान चरण में इसे बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया गया। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.18 प्रतिशत (बजट-सार के अनुसार) पर समाहित था। यह मुख्य रूप से अधिक खर्च और कोविड-19 के कारण कम राजस्व संग्रह के कारण था। बीई 2020-21 में पूंजीगत व्यय का अनुमान ₹4.12 लाख करोड़ था, जिसे आरई 2020-21 में संसाधनों की कमी के बावजूद ₹4.39 लाख करोड़ संशोधित किया गया था। वास्तविक पूंजीगत व्यय ₹4.26 लाख करोड़ (बजट-सार के अनुसार) था। सरकार ने 2022-23 के लिए एमटीएफपी सह एफपीएस वक्तव्य में कहा है कि उसका इरादा 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक पहुँचने का है।

2.3 प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की मध्य वर्ष की समीक्षा

नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुपालन में, जो प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की मध्य वर्ष (अर्थात् सितंबर के अंत में) समीक्षा, गैर-ऋण प्राप्ति के स्तर (जिसमें राजस्व प्राप्तियां, विविध पूंजीगत प्राप्तियों और ऋणों और अग्रिमों की वसूली शामिल है), राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का विश्लेषण किया गया था। परिणाम तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: मध्य वर्ष की समीक्षा के परिणाम

पैरामीटर	लक्ष्य	वास्तविक	विचलन
गैर-ऋण प्राप्ति			
गैर-ऋण प्राप्ति (बीई - ₹22,45,893 करोड़)	8,98,357	5,65,417	(-) 3,32,940
मध्य वर्ष बेंचमार्क (बीई की प्रतिशतता के अनुसार)	40% से कम नहीं	25.17%	(-) 14.83%
राजस्व घाटा			
राजस्व घाटा (बीई - ₹6,09,295 करोड़)	4,26,506	7,62,792	3,36,286
मध्य वर्ष बेंचमार्क (बीई की प्रतिशतता के अनुसार)	70% से अधिक नहीं	125.20%	55.20%
राजकोषीय घाटा			
राजकोषीय घाटा (बीई - ₹7,96,337 करोड़)	5,57,436	9,13,993	3,56,557
मध्य वर्ष बेंचमार्क (बीई की प्रतिशतता के अनुसार)	70% से अधिक नहीं	114.80%	44.80%

स्रोत: मध्य-वर्ष (एच 1) वर्ष 2020-21 के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क के प्रति वास्तविक के लिए विवरण।

नोट: बजट सार, 2020-21 के लिए आरडी का बीई ₹6,09,219 करोड़ के रूप में दिया गया है।

जैसा कि ऊपर तालिका 2.1 में स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्यावधि समीक्षा के दौरान, गैर-ऋण प्राप्ति लक्षित स्तर से 14.83 प्रतिशत कम वसूल की गई थी। हालांकि,

30 सितंबर 2020 तक राजस्व घाटा 55.20 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा बीई के 70 प्रतिशत के लक्षित स्तर से 44.80 प्रतिशत कम हो गया।

एफआरबीएम नियमों के नियम 7 के तहत संसद में पेश किए गए मध्य-वर्ष की समीक्षा वाले विवरण में निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों को सूचीबद्ध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के अनुसार वित्तीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके:

- क. बजट के लिए संशोधित अनुमानों का आकलन अव्ययित शेष राशि को सख्ती से शामिल करना ताकि निधियों के संचय को कम किया जा सके।
- ख. मंत्रालयों/विभागों को अनुदानों की अनुपूरक मांग के स्तर पर उनकी मांगों में से ही बचत का पता लगाकर निधियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग. यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि कर प्राप्तियों सहित गैर-ऋण प्राप्तियों के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के लिए, फेसलेस आकलन, फेसलेस अपील, टैक्सपेयर्स चार्टर, आदि कई पहलों के शुभारंभ से कर अनुपालन में वृद्धि हो सकती है जिस से राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाया जा सकता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि वित्तीय संकेतक कुछ अंतर्निहित धारणाओं के आधार पर अनुमानित हैं। कल्पित परिदृश्य से कोई भी विचलन तदनुसार राजकोषीय संकेतकों को प्रभावित करता है। वर्ष 2020-21 के लिए मध्य-वर्ष के बेंचमार्क लक्ष्यों के संबंध में निष्पादन को सितंबर 2020 तक वास्तविक के संदर्भ में देखा गया था, जहां राजस्व प्राप्तियां ₹5,50,782 करोड़ (बीई का 27.30 प्रतिशत) थीं और कुल व्यय ₹14,79,410 करोड़ (बीई का 48.60 प्रतिशत) था। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7 के तहत आवश्यक था, सरकार ने मध्य-वर्ष के बेंचमार्क के संबंध में आवश्यक विचलन विवरण प्रस्तुत किया।

2.4 राजस्व प्राप्तियों के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण

बजट 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) में निहित प्रमुख मदों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीई, आरई और वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण नीचे **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्ति के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

मद	बीई	आरई	वास्तविक	अंतर (बीई से आरई में)	अंतर (आरई से वास्तविक में)
सकल राजस्व प्राप्ति	31,15,626	23,47,147	24,59,510	-24.67%	4.79%
सकल कर राजस्व	24,23,020	19,00,280	20,27,104	-21.57%	6.67%
माल तथा सेवा कर (जीएसटी)	6,93,500	5,17,819	5,51,542	-25.33%	6.51%
आय और व्यय पर कर	13,06,000	8,93,000	9,27,936	-31.62%	3.91%
संपत्ति तथा पूंजीगत लेनदेन पर कर	13,000	12,000	16,939	-7.69%	41.16%
जीएसटी के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4,06,020	4,74,400	5,28,116	16.84%	11.32%
गैर-कर राजस्व	6,92,606	4,46,867	4,32,406	-35.48%	-3.24%

स्रोत: बीई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2020-21, आरई के लिए 2021-22 और वास्तविक के लिए 2022-23

सकल राजस्व प्राप्तियों का प्रारंभिक अनुमान ₹31,15,626 करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमान चरण में लगभग 25 प्रतिशत घटाकर ₹23,47,147 करोड़ कर दिया गया। हालांकि, वास्तविक सकल राजस्व प्राप्तियों में, संशोधित अनुमान की तुलना में ₹1,12,363 करोड़ की वृद्धि हुई और ₹24,59,510 करोड़ रही।

बीई चरण में सकल कर राजस्व घटकों का अनुमान ₹ 24,23,020 करोड़ था, लेकिन चल रहे कोविड संकट को देखते हुए आरई चरण (21.57 प्रतिशत की कमी) में इसे घटाकर ₹19,00,280 करोड़ कर दिया गया। 2020-21 के दौरान वास्तविक सकल कर संग्रह ₹20,27,104 करोड़ था, जो संशोधित अनुमान से ₹1,26,824 करोड़ अधिक था।

माल और सेवा कर (जीएसटी) से प्राप्ति, शुरु में ₹6,93,500 करोड़ (बीई) अनुमानित थी, आरई चरण में 25.33 प्रतिशत (₹5,17,819 करोड़) कम कर दी गई थी। हालांकि, वास्तविक राशि ₹5,51,542 करोड़ थी, जो संशोधित अनुमान से ₹33,723 करोड़ (6.51 प्रतिशत वृद्धि) अधिक थी।

इसी तरह, आय और व्यय पर कर के लिए प्रारंभिक बीई ₹13,06,000 करोड़ को आरई चरण में ₹4,13,000 करोड़ (बीई का 31.62 प्रतिशत) घटा दिया गया था, लेकिन वास्तविक में आरई अनुमान से ₹34,936 करोड़ (लगभग 4 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई और ₹9,27,936 करोड़ रहा। हालांकि, संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर में एक विपरीत प्रवृत्ति देखी गई, जहां

वास्तविक ₹16,939 करोड़ सुरक्षा लेनदेन कर के उच्च संग्रह के कारण बीई से ₹3,939 करोड़ और आरई ₹4,939 करोड़ से अधिक हो गया।

जीएसटी के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर करों के संबंध में, वास्तविक, बीई और आरई से अधिक थे और ₹5,28,115 करोड़ थे। 'गैर-कर राजस्व' संग्रह में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी, अर्थात् आरई, बीई से ₹2,45,739 करोड़ (35.5 प्रतिशत) कम और वास्तविक आरई से ₹14,461 करोड़ कम और ₹4,32,406 करोड़ रहा। आरई चरण में कमी मुख्य रूप से लाभांश और लाभ में अनुमानों ₹58,852 करोड़ (37.87 प्रतिशत तक), भारतीय रेलवे प्राप्ति - वाणिज्यिक लाइनें ₹79,304 करोड़ (35.50 प्रतिशत), और अन्य संचार सेवाएं ₹99,290 करोड़ से (74.64 प्रतिशत) को कम करने के कारण थी।

2.5 राजस्व संवितरण के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण

राजस्व संवितरण के अनुमानों की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण बजट 2021-22 और 2022-23 के वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बीई, आरई और वास्तविक के संदर्भ में राजस्व संवितरण का विश्लेषण नीचे तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व संवितरण के अनुमानों की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

मद	बीई	आरई	वास्तविक	अंतर (बीई से आरई में)	अंतर (आरई से वास्तविक में)
राजस्व व्यय	29,40,739	32,53,951	33,14,852	10.65%	1.87%
आर्थिक सेवाएं	8,76,720	11,93,926	12,57,013	36.18%	5.28%
i. कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां	2,65,418	5,83,688	7,00,537	119.91%	20%
ii. ग्रामीण विकास	64,223	1,14,540	1,13,910	78.34%	-0.55%
सामान्य सेवाएं	13,25,888	13,11,092	12,94,769	-1.11%	-1.24%
सामाजिक सेवाएं	1,54,846	1,69,309	1,66,359	9.34%	-1.74%

स्रोत: बीई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2020-21, आरई के लिए 2021-22 और वास्तविक के लिए 2022-23।

राजस्व संवितरण के लिए बजटीय अनुमान शुरू में ₹29,40,739 करोड़ अनुमानित किए गए थे, जो आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण अतिरिक्त खर्च का उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमान चरण में 10.65 प्रतिशत बढ़कर ₹32,53,951 करोड़ हो गए थे। वास्तविक राजस्व संवितरण में ₹60,901 करोड़ की थोड़ी वृद्धि हुई, अर्थात् ₹33,14,852 करोड़ पर आरई का 1.87 प्रतिशत। राजस्व संवितरण में ₹2,22,391 करोड़ की पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान शामिल है।

बीई स्तर पर, आर्थिक सेवाओं पर राजस्व संवितरण ₹8,76,720 करोड़ अनुमानित किया गया था, जिसे आरई चरण में बढ़ाकर ₹11,93,926 करोड़ (लगभग 36 प्रतिशत) कर दिया गया था। कृषि और संबद्ध गतिविधियों और ग्रामीण विकास पर बढ़े हुए खर्च के कारण आर्थिक

सेवाओं पर वास्तविक संवितरण ₹12,57,013 करोड़ रहा, जो संशोधित अनुमान से 5 प्रतिशत अधिक है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के शीर्ष के अंतर्गत, खाद्य भंडारण और माल के लिए संवितरण को संशोधित अनुमान में 259 प्रतिशत बढ़ाकर ₹4,38,306 करोड़ (शुरुआती बजट अनुमान ₹1,22,028 करोड़ से) किया गया जबकि वित्तीय वर्ष के अंत तक वास्तविक (₹1,16,797 करोड़ और अधिक अर्थात्, आरई से 26.65 प्रतिशत अधिक) ₹5,55,104 करोड़ था।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास पर व्यय के आरई और वास्तविक दोनों आंकड़े मुख्य रूप से ग्रामीण रोजगार के लिए संवितरण में वृद्धि के कारण बीई के आंकड़ों से अधिक थे। प्रारंभ में ₹64,223 करोड़ का बजट था, 'ग्रामीण विकास' के अनुमान को आरई चरण में ₹1,14,540 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था (बीई से 78.3 प्रतिशत अधिक), और वास्तविक, आरई की तुलना में मामूली कमी के साथ ₹1,13,910 करोड़ था।

सामान्य सेवाओं के लिए संवितरण ने सभी चरणों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई। सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय ₹1,66,359 करोड़, ₹1,54,846 करोड़ के बजट अनुमान से 7.44 प्रतिशत अधिक था, लेकिन ₹1,69,309 करोड़ के संशोधित अनुमान से ₹2,950 करोड़ कम था।

2.6 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

तालिका 2.4 कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.4: राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	कुल व्यय
2016-17	19,33,018 (86.20)	2,49,472 (11.12)	60,011 (2.68)	22,42,501
2017-18	21,40,085 (84.01)	3,25,116 (12.76)	82,136 (3.23)	25,47,337
2018-19	22,61,571 (83.28)	3,99,523 (14.71)	54,667 (2.01)	27,15,761
2019-20	26,15,320 (85.80)	3,87,744 (12.72)	45,142 (1.48)	30,48,206
2020-21	33,14,852 (84.83)	3,42,949 (8.78)	2,49,846 (6.39)	39,07,647

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उस वर्ष के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में हैं।

उपरोक्त तालिका 2.4 से यह देखा जा सकता है कि 2020-21 के दौरान, हालांकि कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में गिरावट आई, राजस्व व्यय में 2019-20 की तुलना में वास्तविक रूप से 26.75 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पूंजीगत व्यय में भी निरपेक्ष रूप से और साथ ही कुल व्यय के अनुपात में गिरावट आई। यदि, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान पर व्यय ₹2,22,391 करोड़ को भी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹5,65,340 करोड़ होगा। हालांकि, जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले राज्यों को ₹1,10,208 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों के हस्तांतरण के कारण ऋण और अग्रिम पर व्यय पूर्ण रूप से और कुल व्यय के अनुपात में बढ़ गया।

2.7 राजकोषीय घाटा

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 2(ए) "राजकोषीय घाटा" को एक वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों और ऋण अदायगी को छोड़कर, भारत की समेकित निधि से कुल संवितरण की अधिकता के रूप में परिभाषित करती है। इसे नीचे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: राजकोषीय घाटा

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	गैर-ऋण प्राप्तियां	19,32,333
	राजस्व प्राप्तियां	18,64,513
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	37,897
	ऋण और अग्रिम की वसूलियां	29,923
	कुल संवितरण (ऋण अदायगी को छोड़कर)	39,07,647
2	राजस्व व्यय	33,14,852
	पूंजीगत व्यय	3,42,949
	ऋण और अग्रिम	2,49,846
	कुल संवितरण (ऋण अदायगी को छोड़कर)	39,07,647
3	यूजीएफए तथा एएफएस (2-1) के अनुसार राजकोषीय घाटा	19,75,314
	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में	9.98
4	बजट सार में (बीएजी) के अनुसार राजकोषीय घाटा	18,18,291
	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में	9.18

स्रोत: यूजीएफए 2020-21 के विवरण संख्या 1, 2022-23 के लिए एएफएस, राजकोषीय घाटे के लिए बीएजी 2022-23 और 2020-21 की जीडीपी (₹198,00,914 करोड़) के लिए एनएसओ प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2022

यूजीएफए/ एएफएस और बीएजी के बीच राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में अंतर यूजीएफए और एएफएस में कुछ लेन-देनों को शामिल करने के कारण है, जैसे जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले राज्यों को बैंक-टू-बैंक ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी प्रवाह, राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी किए गए योगदान/ प्रतिभूतियां।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद के बीएजी के पहले पृष्ठ में उपयुक्त स्पष्टीकरण शामिल किया जाएगा।

2.8 गैर-ऋण प्राप्तियों से वित्तपोषित कुल व्यय

तालिका 2.6 पिछले पांच वर्षों में गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय के अनुपात को दर्शाती है।

तालिका 2.6: गैर-ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय का वर्षवार संग्रहण


(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	गैर-ऋण प्राप्तियां*	गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय
2016-17	22,42,501	17,04,702	76.02%
2017-18	25,47,337	18,61,830	73.09%
2018-19	27,15,761	19,31,699	71.13%
2019-20	30,48,206	20,17,080	66.17%
2020-21	39,07,647	19,32,333	49.45%

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए।

*गैर-ऋण प्राप्तियों में शामिल हैं - राजस्व प्राप्तियां, विविध पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण और अग्रिम की वसूली

चित्र 2.7: गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए

जैसा कि ऊपर चित्र 2.7 से देखा जा सकता है, कुल व्यय के वित्तपोषण के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों का योगदान गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2016-17 से 2019-20 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय 76.02 प्रतिशत से 66.17 प्रतिशत के बीच था, जबकि, 2020-21 में गैर-ऋण प्राप्तियां कुल व्यय का केवल आधा वहन करने में सक्षम थी।

अध्याय

3

सरकारी ऋण,
गारंटी और ऋण स्थिरता
का विश्लेषण

सरकारी ऋण, गारंटी और ऋण स्थिरता का विश्लेषण

अध्याय

3

3.1 केंद्र सरकार का ऋण

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 2 (क क) किसी भी तारीख को केंद्र सरकार के ऋण को निम्न प्रकार से परिभाषित करती है:

सीएफआई की प्रतिभूति पर कुल बकाया देयदातार्य (देनदारियां), इसमें वर्तमान विनिमय दरों पर बाह्य ऋण शामिल हैं।

+

भारत के लोक लेखा में कुल बकाया देनदारियां

+

केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी निकाय-कॉर्पोरेट या अन्य इकाई की वित्तीय देनदारियों को जिसे सरकार को वित्तीय विवरण से चुकाना या सेवा करना है, जो तिथि की समाप्ति पर नकद शेष राशि द्वारा घटाया गया

2024-25 तक एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य केन्द्र सरकार के ऋण को जी डी पी के 40 प्रतिशत तक सीमित करना था।

3.1.1 केन्द्र सरकार के बकाया ऋण

तालिका 3.1 2016-17 से 2020-21 की समाप्ति तक केन्द्र सरकार के बकाया ऋण को दर्शाती है।

तालिका 3.1: केन्द्र सरकार के बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आन्तरिक ऋण	वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण	लोक लेखा	अतिरिक्त बजटीय संसाधन	नकद शेष	केन्द्र सरकार के ऋण	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार के ऋण
	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4-5)	7
2016-17	57,41,709	4,08,108	15,19,727	*	*	76,69,544	49.83
2017-18	64,01,275	4,45,282	16,47,180	*	*	84,93,737	49.70
2018-19	70,74,941	4,74,439	18,12,016	89,864	1,22,692	93,28,568	49.36
2019-20	80,20,490	5,44,394	18,78,733	1,11,870	50,573	1,05,04,914	52.33
2020-21	99,09,543	6,14,829	17,61,272	1,38,536	2,32,572	1,21,91,608	61.57

स्रोत: ईबीआर के लिये यूजीएफए और व्यय रुपरेखा का विवरण 27 (बजट दस्तावेज)

*अप्रैल 2018 में एफआरबीएम संशोधन अधिनियम के माध्यम से ईबीआर व नकद शेष के घटकों के साथ केन्द्र सरकार के ऋण की परिभाषा को शामिल किया गया था।

केन्द्र सरकार का ऋण 2019-20 में 52.33 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 की समाप्ति में जीडीपी का 61.57 प्रतिशत हो गया था।

हालांकि, सरकार ने एमटीएफपी स्टेटमेंट 2022-23 (फरवरी 2022) में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऋण जीडीपी अनुपात को 61.8 प्रतिशत पर उद्धृत किया और आगे कहा कि "सरकार के पूर्ण सेवित बॉन्ड के माध्यम से उठाए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के कारण देनदारियों सहित केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 के अंत में 61.8 प्रतिशत से घटकर आरई 2021-22 में जीडीपी के 59.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

प्राप्ति बजट में ऋण के कारण केन्द्र सरकार की देनदारियों का भी खुलासा किया गया है। 2020-21 के लिए निर्धारित मूल्य पर विदेशी ऋण के साथ ₹120,79,018 करोड़ के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रकाशन नकद शेष राशि द्वारा घटाए गए ईबीआर के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

वर्ष 2010 से केन्द्र सरकार सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर प्रकाशित कर रही है। तालिका 1.2 में सरकारी ऋण 2020-21 (अप्रैल 2022) पर स्टेटस पेपर में शुद्ध कुल देनदारियों को ₹1,16,97,896 करोड़ (जीडीपी का 59.2 प्रतिशत)⁷ दर्शाया गया है।

इस प्रकार, सरकार के विभिन्न देयताओं में बकाया देयताओं की राशि अलग-अलग है।

3.2 गारंटी

केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक लाभों के साथ सरकारी इकाइयों द्वारा की गई गतिविधियों अथवा परियोजनाओं की व्यवहार्यता उन्नत करने हेतु गारंटी प्रदान करती है यह मुख्य रूप से उधार की लागत को कम करने व उन प्रकरणों में आवश्यकता को पूरा करने के लिये जहां द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता हेतु सार्वभौमिक गारंटी एक पूर्व शर्त है। जबकि आकस्मिक देयताओं के होने पर गारंटी ऋण का भाग नहीं होती है, चूक की स्थिति में, वे सरकार की देयताओं पर प्रभाव डाल सकते हैं।

3.2.1 गारंटी लक्ष्य


एफआरबीएम अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम यह निर्धारित करते हैं कि केन्द्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के आधा प्रतिशत से अधिक सीएफआई की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

⁷ स्टेटस पेपर [तालिका 1.1 (बी)] ने 2020-21 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी को ₹197,45,670 करोड़ माना है।

3.2.2 गारंटी में वृद्धि की प्रवृत्ति

चित्र 3.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा दी गई गारंटी में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चित्र 3.2: गारंटी में वृद्धि



स्रोत: यूजीएफए से गारंटी आंकड़े

उपरोक्त चित्र 3.2 से देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों की अवधि से अधिक, वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त गारंटी जीडीपी के आधा प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रही है। अनुलग्नक 3.1 में गारंटी के विवरण दिये गये हैं।

3.3 अतिरिक्त बजटीय संसाधन

भारत सरकार की संस्थायें जैसे कंपनियाँ, कॉर्पोरेट व स्वयत्त निकाय भारत सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भाग लेती हैं। ये संस्थायें कानूनी तौर पर सरकार से भिन्न हैं परन्तु इसके द्वारा नियंत्रित और/ या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। ये संस्थायें सरकार के प्रोग्राम क्रियान्वयन के वित्तपोषण के लिये सरकारी गारंटी के आधार पर उधार के माध्यम से धन जुटाती हैं। सरकार इन संस्थाओं द्वारा उन उधारों को चुकाने (संशोधित करने) का भी वचन देती है। ये उधार केवल संबंधित संस्थाओं के लेखों में परिलक्षित होते हैं और संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों में न तो दर्शाये जाते हैं और न ही वे एएफएस, यूजीएफए और एफआरबीएम के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण विवरणों में दिखाई देते हैं। वित्त

पोषण के इन तरीकों को सरकार के लेखों से बाहर अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) कहा जाता है।

ईबीआर का उपयोग करके व्यय को संबंधित वर्ष के लिये राजकोषीय संकेतकों की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मौजूदा लेखांकन ढांचा और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में सरकार के लेखों में इस तरह के वित्त पोषण के पूर्ण व स्पष्ट चित्रण का प्रावधान नहीं है।

एमटीएफपी 2019-20 में केन्द्र सरकार ने कहा कि 'अतिरिक्त बजटीय संसाधन वे देयतायें व वित्तीय देयतायें थी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जुटाई (उठाई) गई थी इसके लिये पूरे मूलधन व ब्याज की चुकौती संघ सरकार के बजट से की गई थी'।

3.3.1 ईबीआर की प्रमात्रा

वित्तीय वर्ष 2019-20 से सरकार ने बजट दस्तावेजों (व्यय रूपरेखा की विवरणी 27) में ई बी आर की राशि का खुलासा करना शुरू किया। यह विवरणी दर्शाती है कि ईबीआर सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बॉर्ड के माध्यम से संचालित है।

2020-21 के दौरान सरकार द्वारा पूरी तरह सेवित बॉर्ड जारी करने के माध्यम से ₹26,665.10 करोड़ की राशि जुटाई गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक सरकार के पूर्ण रूप से सेवित बॉर्ड के माध्यम से जुटाई गई संचयी निधि ₹1,38,535.50 करोड़ थी जैसा कि **अनुलग्नक 3.2** में विवरण दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2022) कि सरकार ने ईबीआर के माध्यम से योजना व्यय का वित्तपोषण बंद करने का निर्णय लिया और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि व्यय रूपरेखा 2022-23 की विवरण 27 में, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिये ₹751.80 करोड़ (आरई 2021-22) जुटाये जाने के बारे में बताया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था (जून 2022) कि पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिये बजटीय आबंटन के माध्यम से परियोजना को और वित्तपोषित करने के लिये एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।

3.3.2 अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की विवरणी में अपर्याप्ततायें

क एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) के संबंध में पूर्ण ईबीआर का गैर प्रकटीकरण

व्यय प्रोफाइल 2021-22 की विवरणी 27 में, एक फुटनोट में कहा गया था कि "एआईएचएल को पूरी तरह से सेवित बॉन्ड जारी करके 2019-20 के लिए 7,000 करोड़ तक ईबीआर जुटाने की अनुमति दी गई थी ताकि एआईएचएल को हस्तांतरित एयर इंडिया के ऋण का पुनः वित्तपोषण किया जा सके"। 2019-20 की संवीक्षा के दौरान यह इंगित किया गया था कि एआईएचएल ने 2019-20 के लिये तीन चरणों में ₹21,985 करोड़ की राशि जुटाई थी

जिसमें से ₹14,985 करोड़ के बॉड न तो ईबीआर विवरणी में बताये गये थे और न ही प्रकटीकरण विवरणी (फार्म डी-3) तथा यूजीएफए 2019-20 की गारंटी विवरणी संख्या 4 में बताये गये थे। एआईएएचएल द्वारा उधार ली गई राशि के लिए 2020-21 के संबंध में, व्यय प्रोफ़ाइल 2022-23 के विवरण 27 में समान स्थिति दर्शाई गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि एआईएएचएल ने तीन चरणों (₹7,000 करोड़ + ₹7,000 करोड़ + ₹7,985 करोड़) में ₹21,985 करोड़ के भारत सरकार के गारंटी प्राप्त गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किये थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता के माध्यम से एआईएएचएल द्वारा ऋण की चुकौती की जानी थी।

इस प्रकार, मंत्रालय का उत्तर तथ्य की समर्थन करता है कि ₹14,985 करोड़ का ब्यौरा विवरणी 27 में शामिल किया जाना चाहिये था।

ख. भारतीय रेलवे का वित्तपोषण करने के लिये आईआरएफसी द्वारा जुटाये गये ₹50,550.95 करोड़ का गैर समावेशन

भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी), रेल मंत्रालय (एमओआर) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है, जो 1987-88 से रेलवे में पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए बाजार से उधार का प्रबंध करता है। आईआरएफसी द्वारा जुटाई गई धनराशि रेलवे योजना के लिए ईबीआर का गठन करती है और चल भण्डार और परियोजनाओं में निवेश की जाती है जो आईआरएफसी द्वारा रेल मंत्रालय को पट्टे पर दी जाती हैं।

भारतीय रेलवे वार्षिक रिपोर्ट व लेखा 2021-22 बताता है कि संसाधनों की कमी के कारण पूंजी/ रेलवे सुरक्षा निधि कार्यों के लिये पूर्व में किये गये व्यय एक समय व्यवस्था के रूप में ईबीआर के विशेष माध्यम से वित्तपोषित किये गये थे, तथा ईबीआर (विशेष) के अन्तर्गत विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिये 2020-21 में आईआरएफसी ने ₹50,550.95 करोड़ की राशि प्रदान की थी।

व्यय प्रोफ़ाइल (बजट 2021-22 और 2022-23) के विवरण 27 के नीचे प्रकटीकरण नोट (ii) बताता है कि रेल मंत्रालय को राष्ट्रीय परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिये उधार के माध्यम से ₹10,200 करोड़ की (2018-19 में ₹5,200 करोड़ तथा 2019-20 में ₹5,000 करोड़) तक की निधि की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई। चुकौती देयता सरकार के सामान्य राजस्व पर वहन की जा रही है। इस प्रकार, 2020-21 के दौरान रेल मंत्रालय के लिये व्यवस्थित ₹50,550.95 करोड़ के ईबीआर (विशेष) शामिल नहीं किये गये हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि रेल मंत्रालय आईआरएफसी से संसाधन जुटा रहा है इसमें रॉलिक स्टॉक की आवश्यकता शामिल हैं। परियोजना विशिष्ट वित्त पोषण भी इसी तरह से वित्तीय संस्थानों से किये जा रहे हैं। इन्हें आंशिक रूप से राजस्व अर्जन से तथा सामान्य

राजस्व द्वारा प्रदान किये गये सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) से प्राप्त पूंजीगत व्यय से शेष को सेवित किया गया है। रेल मंत्रालय केवल राष्ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ईबीआर के लिये वित्त मंत्रालय का अनुमोदन चाहता है।

2020-21 में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिये आईआरएफसी से ₹50,550.95 करोड़ की एक बार की वित्तपोषण व्यवस्था को रेलवे मंत्रालय द्वारा ईबीआर (विशेष) के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किया गया था, मंत्रालय के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में यह राशि ईबीआर विवरणी में शामिल की जानी चाहिये।

3.4 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता को सरकार की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि एक अवधि में जीडीपी अनुपात में निरन्तर ऋण तथा ऋण चुकाने की क्षमता रखी जा सके। ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए) वर्तमान से शुरू होने वाली अवधि के दौरान ऋण संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की व्यवहार्यता पर विचार करता है तथा अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने के लिये यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।

ऋण-जीडीपी अनुपात डीएसए का महत्वपूर्ण भाग है। अनुपात मुख्य रूप से बढ़ता है क्योंकि ऋण के उच्चतर स्तर से उच्चतर निवल ब्याज व्यय होता है और बदले में उच्चतर घाटा व ऋण होता है। एक स्थिर (स्थायी) राजकोषीय नीति वह है जहां ऋण जीडीपी अनुपात स्थिर है अथवा लंबी अवधि में घट रहा है।

तालिका 3.3 2016-17 से 2020-21 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान केन्द्र सरकार की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 3.3: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	केन्द्र सरकार के ऋण	76,69,544	84,93,737	93,28,568	1,05,04,914	1,21,91,608
2	केन्द्र सरकार के ऋण की वृद्धि दर (%में)	7.39	10.75	9.83	12.61	16.06
3	वर्तमान कीमत पर जी.डी.पी.	153,91,669	170,90,042	188,99,668	200,74,856	198,00,914
4	वर्तमान कीमत पर जी.डी.पी. की वृद्धि दर (%में)	11.76	11.03	10.59	6.22	-1.36
5	वर्तमान कीमत में ऋण - जी.डी.पी. अनुपात	49.83	49.70	49.36	52.33	61.57
6	ब्याज भुगतान	5,04,512	5,43,707	5,95,552	6,55,371	7,20,984
7	कुल राजस्व प्राप्तियां	16,15,988	16,91,143	18,06,463	19,48,084	18,64,513
8	औसत ब्याज लागत (%में) ⁸	6.81	6.73	6.68	6.61	6.35

⁸ औसत ब्याज लागत = ब्याज भुगतान/औसत बकाया ऋण*100


क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
9	राजस्व प्राप्ति के लिए ऋण पर ब्याज लागत (%में)	31.22	32.15	32.97	33.64	38.67
10	सार्वजनिक ऋण चुकोती	56,78,823	58,72,605	60,64,945	63,26,549	61,84,635
11	सार्वजनिक ऋण प्राप्ति	61,34,137	65,54,002	67,58,482	73,01,387	81,62,910
12	लोक ऋण प्राप्ति के लिये लोक ऋण चुकोती	92.58	89.60	89.74	86.65	75.77
13	इंटरैस्ट स्प्रेड ⁹ (%में)	4.95	4.31	3.91	-0.39	-7.72
14	क्वांटम स्प्रेड ¹⁰	3,79,561	3,65,798	3,64,332	-41,043	-9,40,931
15	प्राथमिक घाटा ¹¹	33,287	1,41,800	1,88,510	3,75,755	12,54,330
16	ऋण स्थिरता ¹²	3,46,274	2,23,998	1,75,822	-4,16,798	-21,95,261

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के संघ सरकार वित्त लेखे, जीडीपी के लिये एनएसओ प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2022 तथा 31 मई 2022.

जैसा कि ऊपर तालिका 3.3 से देखा जा सकता है, प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड की मात्रा 2016-17 से 2018-19 तक सकारात्मक थी। हालांकि, प्राथमिक घाटे में 2019-20 (₹3,75,755 करोड़) और 2020-21 (₹12,54,330 करोड़) में और वृद्धि हुई। 2019-20 और 2020-21 में फैले नकारात्मक ब्याज के साथ इस वृद्धि ने ऋण स्थिरीकरण संकेतक को नकारात्मक बना दिया।

नीचे चित्र 3.4 विगत पांच वर्षों में विभिन्न ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति दर्शाती है।

चित्र 3.4: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति



⁹ ब्याज विस्तार: मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर - औसत ब्याज लागत

¹⁰ क्वांटम स्प्रेड: केंद्र सरकार का कर्ज * ब्याज स्प्रेड/100

¹¹ प्राथमिक घाटा: राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

¹² ऋण स्थिरता: क्वांटम स्प्रेड में से घटाया गया प्राथमिक घाटा

चित्र 3.4 से केन्द्र सरकार के ऋण को विगत पांच वर्षों से बढ़ते हुये देखा जा सकता है और 2020-21 के दौरान यह वृद्धि 2019-20 की तुलना में 16.06 प्रतिशत थी। यद्यपि 2016-17 से 2018-19 के दौरान ऋण-जीडीपी अनुपात लगभग 49 प्रतिशत था, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई थी। ऋण वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर से अधिक हो गई थी परिणामस्वरूप 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान बढ़ा हुआ ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः 52.33 प्रतिशत तथा 61.57 प्रतिशत था।

- ❖ यद्यपि ऋण पर औसत ब्याज लागत ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई सरकार के लिये यह लाभकारी रही (2016-17 में 6.81 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 6.35 प्रतिशत) पांच वर्षों में ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक में लगातार वृद्धि हुई। 2016-17 में भुगतान किया गया ब्याज ₹5,04,512 करोड़ था जो 2021-21 में बढ़कर ₹7,20,984 करोड़ हो गया था इस प्रकार यद्यपि समग्र ऋण भार बढ़ रहा था, सरकार कम लागत वाला निधियां प्राप्त करने में सक्षम थी।
- ❖ यद्यपि 2017-18 से ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ रहा था, विगत पांच वर्षों में औसत ब्याज लागत ऋण लगातार घट रही थी। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों के लिये सार्वजनिक ऋण चुकौती की प्रतिशतता ने 2016-17 से गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई तथा 2016-17 में 92.58 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 75.77 प्रतिशत हो गई। तथापि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 2020-21 के दौरान कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अध्याय

4

राजकोषीय नीति विवरण
में अनुमान व वास्तविक

राजकोषीय नीति विवरण में अनुमान व वास्तविक

अध्याय

4

4.1 राजकोषीय नीति विवरण

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह संसद के दोनों सदनों में राजकोषीय नीति विवरण अर्थात् मध्य अवधि का राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति (एफपीएस) विवरण तथा वृहत आर्थिक रूपरेखा (एमईएफ) विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण (एफएएस) तथा अनुदान मांगों सहित प्रस्तुत करे। 2012 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन से सत्र, जिसमें पूर्वोक्त अन्य नीति विवरण रखे गये थे, के शीघ्र बाद मध्य अवधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) विवरण भी रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

- ❖ इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2018 में एफआरबीएम अधिनियम व नियमों में संशोधन से दो पृथक विवरणों के बजाय एकल मध्य अवधि राजकोषीय नीति एवं राजकोषीय नीति रणनीति (एमटीएफपी तथा एफपीएस) विवरण के प्रस्तुतिकरण किये गये थे। नियमों में यह भी प्रावधान है कि एमटीएफपी एवं एफपीएस विवरण में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में एफडी, आरडी, प्राथमिक घाटा, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व व केन्द्र सरकार के ऋण के लिये तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे। राजकोषीय संकेतकों, जीडीपी वृद्धि प्राप्ति व व्यय के लिये अनुमानों की महत्ता विस्तार से दर्शाने हेतु एमटीएफपी एवं एफपीएस विवरण की आवश्यकता थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 में संसद के समक्ष प्रस्तुत एफ-1 विवरण (एमटीएफपी एवं एफपीएस विवरण) में निहित विभिन्न संकेतकों के संक्षिप्त अनुमान **अनुलग्नक 4.1** में दिये गये हैं।
- ❖ एमईएफ विवरण में अर्थव्यवस्था के वृद्धि विवरण का मूल्यांकन महत्वपूर्ण अनुमानों के विनिर्देशन के साथ दिया गया है।
- ❖ एमटीईएफ विवरण महत्वपूर्ण अनुमानों के विनिर्देशन तथा सम्मिलित खतरों सहित निर्धारित व्यय के लिये तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये प्रारम्भिक अनुमान 2018-19 की एफ-3 विवरण (एमटीईएफ) में किये गये थे। तथापि, 2019-20 तथा 2020-21 में बाद के एफ-3 विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

2021-22 के एमटीएफपी एवं एफपीएस विवरण में, सरकार ने एफ-3 की प्रस्तुत नहीं करने का कारण बताते हुये कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कोविड सदमे की

पूरी सीमा अभी तक अज्ञात थी। केन्द्र सरकार के व्यय के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो 2021-22 से शुरू होकर पांच वर्ष के लिये थी, को केवल नवंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में, सरकार सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एमटीईएफ विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ थी जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3 (1बी) के अंतर्गत अनिवार्य है।

2018-19 व 2019-20 के केन्द्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अनुमान एफ-1 व एफ-2 विवरण में निहित है। केन्द्रीय बजट 2020-21 में 2020-21 के लिये बजट अनुमान तैयार किये गये थे जिसे केन्द्रीय बजट 2021-22 में आरई के रूप में पुनः संबद्ध कर दिया गया था इसके बाद बजट 2022-23 में विश्लेषण वास्तविक द्वारा किया गया था। इस प्रकार बजट अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक के लिये विश्लेषण पाँच केन्द्रीय बजट में विस्तारित थे।

4.2 एफ-1 विवरण (एमटीएफपी एवं एफपीएस) का विश्लेषण

क. राजकोषीय संकेतक – रोलिंग लक्ष्य

वर्ष 2020-21 के लिये 2018-19 से 2021-22 के एफ-1 विवरणों में की गई अनुमानों तथा वास्तविक 2020-21 की तुलना नीचे तालिका 4.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.1: अनुमान के साथ-साथ वास्तविक

(जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में)

	एमटीएफपी 2018-19	एमटीएफपी 2019-20	एमटीएफपी 2020-21	एमटीएफपी 2021-22	बीएजी 2022-23
अनुमानों/ राजकोषीय संकेतक का प्रकार	2020-21 के लिए प्रोजेक्शन (वर्ष +2)	2020-21 के लिए प्रोजेक्शन (वर्ष+1)	बीई 2020-21	आर ई 2020-21	वास्तविक 2020-21
राजकोषीय घाटा	3.00	3.00	3.50	9.50	9.18
राजस्व घाटा	1.60	1.90	2.70	7.50	7.32
प्राथमिक घाटा	-	0.00	0.40	5.90	5.75
सकल कर राजस्व	12.70	11.60	10.80	9.80	.*
गैर-कर राजस्व	1.30	1.40	1.70	1.10	.*
केन्द्रीय सरकार के ऋण	44.60 ¹³	46.20	50.10	-	.*
ईबीआर के कारण देयता	-	0.80	0.80	-	-

* बीएजी में इंगित नहीं की गई

राजकोषीय घाटा (एफडी)

2018-19 के एफ-1 विवरण में वर्ष 2020-21 के लिये एफडी का शुरु में अनुमान जीडीपी के तीन प्रतिशत पर लगाया गया था। 2019-20 के एफ-1 विवरण में इस अनुमान को यह कहकर

¹³ कुल बकाया देयताएं

जारी रखा गया कि “यह आशा की जाती है कि जीडीपी का तीन प्रतिशत लक्षित राजकोषीय घाटा पूरा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा और उसके बाद भी यह जारी रहेगी”। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एफ-1 विवरण में निवेश राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जीडीपी का 3.50 प्रतिशत तक बढ़ गया ताकि “निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रतिचक्रिय राजकोषीय उपायों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया जा सके।” इस प्रकार, संबंधित वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान में 31 मार्च 2021 तक एफडी का लक्ष्य जीडीपी का तीन प्रतिशत तक सीमित करने के प्रति 0.5 प्रतिशत का विचलन किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमटीएफपी 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एफडी अनुमान को आरई स्तर पर जीडीपी का 9.50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था इसमें स्वास्थ्य, आजीविका व आर्थिक प्रोत्साहन पर सरकार द्वारा व्यय में एक साथ वृद्धि व प्राप्ति में कमी का संदर्भ दिया गया था। वास्तविक एफडी (बीएजी के अनुसार) जीडीपी का 9.18 प्रतिशत व यूजीए के अनुसार (पैरा 2.7 क संदर्भ में) 9.98 प्रतिशत थी।

विचलन विवरण, जैसा कि धारा 4(5) के अंतर्गत अपेक्षित था 2020-21 के विवरण एफ-1 के (पैरा 108 से 110) तथा 2021-22 (पैरा 110 से 112) में वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

राजस्व घाटा (आरडी)

2020-21 के लिये आर डी का अनुमान शुरु में 2018-19 के एफ-1 विवरण में जीडीपी के 1.60 प्रतिशत पर लगाया गया था। 2019-20 के विवरण एफ-1 में अनुमान मामूली तौर पर जीडीपी का 1.9 प्रतिशत तक बढ़ गया था और यह कहा गया कि सब्सिडी रेशनलाइजेशन हेतु किये गये उपायों के लाभप्रद होने की शुरुआत मध्य अवधि में होगी। 2020-21 के एफ-1 विवरण में, आरडी के लिये बजट अनुमान में ऊर्ध्वमुखी संशोधन जीडीपी का 2.7 प्रतिशत तक किया गया था। 2021-22 के एफ-1 विवरण में कोविड-19 की महामारी की असाधारण स्थिति के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि थी जिसके कारण आरई स्तर पर अनुमानों में जीडीपी का 7.5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, 2020-21 के लिये वास्तविक आरडी (बीएजी व यूजीएफ के अनुसार) जीडीपी का 7.3 प्रतिशत था।

प्राथमिक घाटा (पीडी)

2018-19 का विवरण एफ-1 में पीडी में कोई अनुमान निहित नहीं था। 2019-20 के लिये एफ-1 में 2020-21 के लिये अनुमानित पीडी जीडीपी का शून्य प्रतिशत थी। 2020-21 के विवरण एफ-1 में पीडी के लिये बजट अनुमान जीडीपी के 0.4 प्रतिशत तक संशोधित किया गया था। 2021-22 के विवरण एफ-1 में, पीडी के लिये संशोधित अनुमान जीडीपी के 5.9 प्रतिशत पर तय किये गये थे। पीडी (बीएजी के अनुसार) जीडीपी का 5.8 प्रतिशत व यूजीएफ के अनुसार 6.3 प्रतिशत था।

सकल कर राजस्व (जीटीआर)

2018-19 के एफ-1 विवरण के अनुसार, 2020-21 जीटीआर में जीडीपी का 12.7 प्रतिशत तक प्राप्त करने की आशा की गई थी इसमें क्रमशः विमुद्रीकरण व जीएसटी के संबद्ध कर आधार व कर में आये परिवर्तन का विस्तार शामिल था। 2019-20 के विवरण एफ-1 में जीटीआर जीडीपी के 11.6 प्रतिशत तक प्राप्त करने की आशा की गई थी। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के विवरण एफ-1 में, जीटीआर का बजट जीडीपी के 10.8 प्रतिशत पर बनाया गया था, तथापि, आरई स्तर पर इसे अधोमुखी संशोधित कर 9.8 प्रतिशत कर दिया गया था। संशोधन के मुख्य कारणों में निगम कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क में कम प्राप्तियों की प्रत्याश की गयी थी, जो कोविड-19 महामारी के कारण था। 2020-21 के लिये वास्तविक जीटीआर संग्रह (यूजीएफए के अनुसार) जीडीपी के 10.24 प्रतिशत था।

केन्द्र सरकार की देयतायें

2018-19 के विवरण एफ-1 में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर कुल बकाया देयताओं का अनुमान जीडीपी के 44.6 प्रतिशत के रूप में लगाया था। 2019-20 के विवरण एफ-1 में अनुमान को बढ़ाकर 46.2 प्रतिशत तक कर दिया गया था। 2020-21 के विवरण एफ-1 में, बीई स्तर में केन्द्र सरकार के ऋण का अनुमान 50.1 प्रतिशत पर था। तथापि, इसे 2021-22 के विवरण एफ-1 में आरई स्तर पर निर्दिष्ट नहीं किया गया था। 2020-21 के लिये केन्द्र सरकार का ऋण (यूजीएफए के अनुसार) जीडीपी का 61.57 प्रतिशत था।

ख राजकोषीय संकेतकों की महत्ता दर्शाने वाली धारणायें


1. राजस्व प्राप्तियां

2018-19 के विवरण एफ-1 में, 2020-21 के लिये राजस्व प्राप्तियों को जीडीपी के 9.4 प्रतिशत के रूप में अनुमानित किया गया था (जीडीपी के कर और गैर राजस्व घटक क्रमशः 8.1 व 1.3 प्रतिशत के साथ)। प्रत्याशित कर प्राप्तियों में कमी के कारण 2019-20 के एफ-1 विवरण में यह घटकर जीडीपी का 9.1 प्रतिशत हो गया था (कर व गैर कर राजस्व घटक जीडीपी को क्रमशः 7.7 व 1.4 प्रतिशत के साथ)। 2020-21 बजट अनुमान में, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान ₹20,20,926 करोड़ किया गया था अर्थात् कर राजस्व संग्रहण में प्रत्याशित कमी सहित जीडीपी का 8.98 प्रतिशत। आरई 2020-21 में कर राजस्व में गिरावट के कारण जीडीपी का 7.98 प्रतिशत की और कमी का अनुमान लगाया। तथापि, 2020-2021 के लिये यूजीएफए के अनुसार वास्तविक राजस्व प्राप्तियों ₹18,64,513 करोड़ (जीडीपी का 9.42 प्रतिशत) थी।

(क) कर व गैर कर राजस्व हेतु अनुमान व वास्तविक

एमटीएफपी विवरण में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अनुमानित कर व गैर कर राजस्व¹⁴ हेतु अनुमान (धारणा) होते हैं। इन अनुमानों की तुलना वास्तविक तथा विश्लेषित प्रवृत्तियों के साथ नीचे की गई है।

चित्र 4.2: 2020-21 के लिये कर व गैर कर राजस्व अनुमान व वास्तविक



अनुमानों और आंकलनों दोनों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों में गिरावट थी। कर राजस्व अनुमानों में अधोमुखी संशोधन सुसंगत तरीके से किया गया था और आरई स्तर पर संशोधन के लिये कोविड-19 महामारी को निगम कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क में प्रत्याशित कम प्राप्तियों के लिये मुख्य कारण बताया गया था।

कर राजस्व अनुमानों के विपरीत गैर कर राजस्व अनुमान, उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी संशोधन बजट अनुमान स्तर तक किया गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक गैर कर राजस्व संग्रह अनुमानों की तुलना में काफी अधिक थे, यद्यपि आरई में गिरावट व अधोमुखी संशोधन होने की आशा थी।

ख). राज्यों को हस्तांतरण- वित्त आयोग

वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280(3) के प्रावधानों के तहत कर से प्राप्त आय का वितरण केन्द्र व राज्यों के बीच करने की सिफारिश करता है।

¹⁴ एनटीआर प्राप्तियों में आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश, मुख्य रूप से राज्यों से ऋण पर ब्याज प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य एनटीआर प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्तियां, उपयोगकर्ता शुल्क और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

एमटीएफपी 2021-22 के अनुसार, आरई 2020-21 में राज्यों को कर हस्तांतरण का अनुमान ₹5,49,959 करोड़ तथा राज्यों को वित्त आयोग का अनुदान ₹1,82,352 करोड़ था।

2020-21 में राज्यों को वास्तविक हस्तांतरण ₹5,94,997 करोड़ था जबकि वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹1,84,063 करोड़ दिये गये थे।

2. पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर-ऋण प्राप्ति व ऋण प्राप्ति होती है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में दो प्रमुख घटक उदाहरणार्थ ऋण व अग्रिम तथा अन्य प्राप्तियों की वसूली है (इसमें अधिकतर विनिवेश प्राप्तियाँ होती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिसका स्वामित्व सरकार के पास है, में स्ट्रेटेजिक एसेट (रणनीतिक परिसम्पत्तियों) की बिक्री के अतिरिक्त संस्थाओं की बिक्री पर सरकार के लिये उपचित है)।

(क) ऋण की वसूली

एमटीएफपी 2018-19 में, ऋण व अग्रिम की वसूली का अनुमान ₹10,000 करोड़ राज्यों से देय चुकौतियों तथा वर्ष 2020-21 के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्तियों की वास्तविक प्रवृत्ति पर विचार करके लगाया गया था। एमटीएफपी 2019-20 ने इस वसूली का अनुमान ₹12,000 करोड़ लगाया था। एमटीएफपी 2020-21 में बीई स्तर पर ₹14,967 करोड़ का ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया था। आरई 2020-21 में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये गये ऋण का बैंक-टू-बैंक हस्तांतरण को छोड़कर राज्यों को कोई नया ऋण उधार न देने के कारण, ऋणों की अपेक्षित वसूली का अनुमान ₹14,497 करोड़ लगाया गया था। तथापि, यूजीएफए के अनुसार 2020-21 के लिये वास्तविक ₹29,923 करोड़ थे।

(ख) अन्य प्राप्तियाँ

2018-19 व 2019-20 एमटीएफपी में अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से वसूली का अनुमान क्रमशः ₹60,000 करोड़ व ₹80,000 करोड़ लगाया गया था। बीई 2020-21 में (एमटीएफपी 2020-21 में), ₹2,10,000 करोड़ का अनुमान लगाया गया था इसमें सार्वजनिक क्षेत्र बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं में इक्विटी की बिक्री से ₹90,000 करोड़ शामिल हैं। यद्यपि बीई में ऊर्ध्वमुखी व बाद में आरई स्तर पर अधोगामी अनुमान ₹32,000 करोड़ था, आरई अनुमानों से वास्तविक थोड़े से अधिक ₹37,897 करोड़ थे।

(ग) उधार-सार्वजनिक ऋण व अन्य देयतायें

प्राप्ति व व्यय में अंतर अर्थात् राजकोषीय घाटा उधार के द्वारा वित्तपोषित होता है। अतः एफडी के लिये उधार अनुमानों के काफी अनुकूल है।

2020-21 में ₹19,75,314 करोड़ का वास्तविक राजकोषीय घाटा (यूजीएफए के अनुसार) आंतरिक ऋण से ₹18,89,052 करोड़ बाह्य ऋण से ₹89,223 करोड़ तथा लोक लेखा से

₹4,227 करोड़ उधार लेकर पूरा किया गया था तथा ₹7,188 करोड़ के आधिक्य को अलग रखा गया।

3. कुल व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये कुल व्यय का अनुमान प्रारम्भ में एमटीएफपी 2018-19 में जीडीपी का 12.70 प्रतिशत लगाया गया था तथा 2019-20 में जीडीपी के 12.60 प्रतिशत का पुर्नमूल्यांकन किया। कुल व्यय का बीई (एमटीएफपी 2020-21 में) का अनुमान ₹30,42,230 करोड़ का लगाया गया था। एमटीएफपी 2021-22 में जीडीपी के 17.70 प्रतिशत (₹34,50,305 करोड़) पर कुल व्यय के लिये आरई 2020-21 निर्धारित किया। वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास के लिये आबंटन में वृद्धि के कारण थी। यूजीएफए के अनुसार वास्तविक कुल व्यय ₹39,07,647 करोड़ था इसमें से 84.83 प्रतिशत राजस्व व्यय में था।

(क) राजस्व लेखा

राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान सब्सिडी, वेतन व पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, पुलिस राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरण, केन्द्र द्वारा प्रसारित योजनाओं व अन्य हस्तांतरण पर व्यय शामिल है।

(i) ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान केन्द्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये ब्याज भुगतान का अनुमान 2018-19 व 2019-20 के लिये एमटीएफपी में राजस्व प्राप्ति का क्रमशः 29.80 प्रतिशत 33.10 प्रतिशत लगाया गया था। एमटीएफपी 2020-21 में, ब्याज भुगतान में व्यय के लिये ₹7,08,203 करोड़ का बजट दिया गया था (सुसंगत राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत) तथापि एमटीएफपी 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात 44.6 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया था

(ii) प्रमुख सब्सिडी

खाद्य उर्वक पेट्रोलियम पर प्रमुख सब्सिडी में व्यय राजस्व व्यय का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। 2020-21 के दौरान 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के उत्तरोत्तर एमटीएफपी में जीडीपी का क्रमशः 1.3 प्रतिशत, 1.2 प्रतिशत व 1.0 प्रतिशत पर प्रमुख सब्सिडी हेतु अनुमान किया गया था। एमटीएफपी 2021-22 में सब्सिडी में संशोधित व्यय का अनुमान (₹2,27,794 करोड़ के बजट अनुमान में 161 प्रतिशत की वृद्धि) मुख्यतः कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों को खाद्य सब्सिडी व मुफ्त राशन हेतु ₹5,95,620 करोड़ तथा लगभग 1.5 लाख करोड़ के एफसीआई द्वारा एनएसएसएफ से लिए ऋण के पूर्व भुगतान के संबंध में लगाया गया था।

(ख) पूंजीगत लेखा

2020-21 के लिये पूंजीगत व्यय का अनुमान एमटीएफपी 2018-19 में कुल व्यय के 12.90 प्रतिशत पर लगाया गया था जबकि एमटीएफपी 2019-20 में पूर्व वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान ₹3,38,569 करोड़ से अधिक 9.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था (कुल व्यय का 14.13 प्रतिशत बनता था)। 2020-21 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय पर ₹4,12,085 करोड़ का बजट बनाया गया था। आरई 2020-21 में पूंजीगत व्यय के लिये अनुमान में वृद्धि (₹4,39,163 करोड़) बीई 2020-21 में 6.6 प्रतिशत हो गई थी जोकि एमटीएफपी 2021-22 के अनुसार मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, रेलवे, रक्षा, राज्यों को हस्तांतरण, स्वास्थ्य व एमएसएमई आदि पर अधिक व्यय करने के कारण थी। तथापि, यूजीएफए 2020-21 के अनुसार वास्तविक पूंजीगत व्यय ₹5,92,794 करोड़ था (कुल व्यय का 15.17 प्रतिशत)।

4. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

अधिनियम की धारा 2 (बी सी) में परिभाषित देता है कि सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय सभी आवासीय उत्पादन यूनिट द्वारा सकल मूल्य वर्धित योग है इसमें कर, कम सब्सिडी, उत्पाद पर आउटपुट के मूल्यनिर्धारण शामिल नहीं किये गये हैं, जोकि वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान बाजार कीमतों पर निर्धारित है जैसा कि समय-समय पर एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, धारा 2 (सी ए) परिभाषा देता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय सकल घरेलू उत्पाद है इसका विचार निर्धारण कीमतों पर किया गया जैसा कि एनएसओ द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में स्थिर व वर्तमान कीमतों में जीडीपी की प्रवृत्ति नीचे की तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: जीडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कीमतें (नाममात्र जीडीपी)	153,91,669	170,90,042	188,99,668	200,74,856	198,00,914
पूर्व वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन (जीडीपी वर्तमान कीमतें)	11.76	11.03	10.59	6.22	-1.36
स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (वास्तविक जीडीपी) (2011-12)	123,08,193	131,44,582	139,92,914	145,15,958	135,58,473
पूर्व वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन (जीडीपी पर लगातार कीमतें)	8.3	6.8	6.5	3.7	-6.6

स्रोत: दिनांक 31 जनवरी 2022 व 31 मई 2022 का एनएसओ प्रेस नोट

2018-19 के एमटीएफपी विवरण में ₹1,87,22,302 करोड़ पर 2018-19 के जीडीपी का अनुमान था तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 11.80 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12.30 प्रतिशत की दर पर जीडीपी में नाममात्र वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। उसी के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये जीडीपी का अनुमान ₹2,35,06,112 करोड़ लगाया गया था।

2019-20 एमटीएफपी ने ₹2,11,00,607 करोड़ पर 2019-20 की जीडीपी का अनुमान लगाया था और 2020-21 में जीडीपी में 11.60 प्रतिशत की दर पर नाममात्र वृद्धि का अनुमान लगाया था। इस गणना के आधार पर 2020-21 के लिये अनुमानित जीडीपी में लगभग ₹2,35,48,277 करोड़ का हिसाब लगाया गया है।

2020-21 के बजट सार में 2020-21 के जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि व ₹2,24,89,420 करोड़ का स्तर प्राप्त करने का अनुमान लगाया।

2020-21 के लिये जीडीपी के अनुमान में संशोधन करके बजट सार (2021-22 में इसे ₹1,94,81,975 करोड़ किया गया। तथापि, 2020-21 के लिये जीडीपी आंकड़ा ₹1,98,00,914 करोड़ था जैसा कि मई 2022 में एनएसओ ने जारी किया था।

ग. स्थिरता का आकलन

(i) राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय के मध्य संतुलन:

जीडीपी के 1.6 प्रतिशत पर आरडी 2020-21 के लिये अनुमान करते समय, एमटीएफपी 2018-19 में सरकार ने बताया कि स्कूलों और अस्पतालों पर इनके विकास पर ध्यान केन्द्रित करके मानव पूंजी व इन परिसम्पत्तियों का रखरखाव, जोकि राजस्व व्यय की प्रकृति के हैं, भवनों व सड़कों के निर्माण में सुधार के जेसा था। इस प्रकार, सरकार ने राजकोषीय विवेक, (समझ) के लक्ष्य के रूप में आरडी को हटाने तथा बजट राजस्व/ व्यय के शेष को प्राप्त करने के प्रयासों को जारी रखने के आश्वासन के साथ, समग्र रूप में सरकारी व्यय की स्थिरता पर ध्यान देने का निर्णय लिया।

एमटीएफपी 2019-20 में अनुमानित आरडी में संशोधन करके जीडीपी का 1.9 प्रतिशत कर दिया गया तथा एमटीएफपी 2020-21 में और वृद्धि की तथा जीडीपी का बजट 2.7 प्रतिशत कर दिया गया।

एमटीएफपी 2021-22 में, कर राजस्व में गिरावट के कारण बजट अनुमानों में ₹4,65,773 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में गिरावट का अनुमान लगाया गया था। जबकि आरई 2020-21 में राजस्व व्यय में ₹3,80,997 करोड़ का ऊर्ध्वगामी अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार परिणामत असाधारण कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की

विचारणीय वृद्धि की उम्मीद की थी। 2020-21 में वास्तविक आरडी जीडीपी का 7.32 प्रतिशत थी।

(ii) उत्पाद परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिये बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अनुपात मोटे तौर पर सरकार के वर्तमान व्यय के वित्तपोषण हेतु प्रयुक्त उधार की सीमा को मापता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये यह अनुपात एमटीएफपी 2018-19 में 55 प्रतिशत, 2019-20 में 61.10 प्रतिशत अनुमानित था। तथापि, 2020-21 के बजट अनुमान में 75.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2020-21 के आरई में 78.80 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। 2020-21 में राजकोषीय घाटे में वास्तविक राजस्व घाटे का अनुपात यूजीएफए के अनुसार 73.42 प्रतिशत था। हालांकि अनुपात में बजट अनुमान से सुधार हुआ, वर्ष 2020-21 के लिये प्रारम्भिक अनुमानों से खराब हो गयी।

घ. आगामी वित्तीय वर्ष के लिये रणनीतिक प्राथमिकतायें

एमटीएफपी 2020-21 में सरकार ने बताया कि आगामी वर्ष में व्यय पर सरकार का मुख्य ध्यान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता को बढ़ाने व जल संरक्षण को निर्धारित सैक्टर बनाने पर बना रहेगा। प्राप्ति पक्ष में, रणनीतिक परिसम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से संसाधन जुटाने की मांग की जायेगी।

विगत तीन वर्षों में उपरोक्त निर्धारित क्षेत्रों में राजस्व व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका 4.4 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 4.4 निर्धारित क्षेत्रों में राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण के लिये अनुदान	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	खाद्य भंडारण व वेयर हाउसिंग	जल आपूर्ति व स्वच्छता	मृदा व जल संरक्षण
2018-19	1,91,291.25	22,323.65	1,07,328.49	276.21	33.64
2019-20	1,87,342.28	29,432.13	1,14,678.11	1,050.45	32.94
2020-21	2,22,391.20	33,883.64	5,55,154.28	1,296.58	34.57

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए

तालिका 4.4 में उपरोक्त प्रवृत्ति विश्लेषण दर्शाती है कि निर्धारित क्षेत्रों में व्यय कई वर्षों से बढ़ गया है। 2020-21 के दौरान, मिट्टी व जल संरक्षण शीर्ष में पाँच प्रतिशत तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण शीर्ष में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि थी। पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु अनुदान में 2019-20 से 19 प्रतिशत की व्यय में वृद्धि की गई थी तथा जल आपूर्ति व स्वच्छता शीर्ष पर व्यय 2019-20 में 23 प्रतिशत बढ़ गया था इसमें पूर्व वर्ष से तीन गुणा

वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान खाद्य भंडारण व वेयर हाउसिंग पर व्यय 384 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था ताकि कोविड-19 महामारी के समय मुफ्त राशन प्रदान किया जा सके तथा एनएसएसएफ ऋण का पूर्व भुगतान किया जा सके इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ के एफसीआई शामिल है। इस प्रकार सरकार ने पहचाने गये निर्धारित क्षेत्रों पर अपने व्यय में वृद्धि की है।

4.3 वर्ष 2020-21 के लिये आर्थिक निष्पादन को दर्शाने में 2021-22 व 2022-23 के लिये मैक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क विवरणों में विचलन

अधिनियम की धारा 3 (5) के अनुसार फार्म एफ-2 में मैक्रो इकोनोमी फ्रेमवर्क विवरण में अन्तर्निहित मान्यताओं के विनिर्देशन के साथ अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन होगा। अधिनियम की धारा 3 (6) में प्रावधान है कि एफ-2 विवरण (क) जीडीपी में वृद्धि, (ख) संघ सरकार का राजकोषीय शेष जैसा कि सकल राजकोषीय शेष में दर्शाया गया है तथा (ग) अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र के शेष जैसा कि शेष भुगतान के वर्तमान लेखा शेष में दर्शाया गया है, से संबंधित मूल्यांकन शामिल करेगा। नवीनतम फार्म एफ 2 वर्ष 2020-21 के लिये दर्शाये गई अर्थव्यवस्था के निष्पादन को **अनुलग्नक 4.2** में संदर्भित किया जा सकता है। 2021-22 व 2022-23 के लिये क्रमिक मैक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क (एमईएफ) विवरणों में 2020-21 के लिये आर्थिक निष्पादन की जाँच करते समय निर्धारित प्रपत्र एफ-2 में विचलन देखे गये थे जैसा कि नीचे चर्चा की गई।

(क) वास्तविक क्षेत्र में भिन्नता

तालिका 4.5: 2020-21 के लिये वास्तविक क्षेत्र में भिन्नता (अप्रैल-दिसंबर)

क्रम संख्या	एफ-2 के लिये निर्धारित प्रपत्र में क्रम संख्या	मद	एमईएफएस 2021-22	एमईएफएस
1	6 (ए)	वर्तमान कीमतों पर आयात ("₹ करोड़ में")	19,22,790	19,56,257
2	6 (बी)	आयात वर्तमान में कीमतों ("यूस \$ मिलियन में")	2,58,272	262.8
3	7 (ए)	निर्यात मौजूदा कीमतों पर ("₹ करोड़ में")	14,95,706	15,00,020
4	7 (बी)	निर्यात मौजूदा कीमतों पर ("यूस \$ मिलियन में")	2,00,802	201.4
5	8	व्यापार शेष ("यूस \$ मिलियन में")	-57,470	-61.4
6	9(ए)	विदेशी विनिमय परिसम्पत्तियां (मार्च के अंत में) ("₹ करोड़ में")	42,72,332	42,80,252
7	9 (बी)	विदेशी विनिमय परिसम्पत्तियां (मार्च के अंत में) ("यूस \$ मिलियन में")	5,80,841	5,85,771
8	10	वर्तमान लेखा शेष	34.8	34.4

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिये एमईएफ विवरण

दोनों एमईएफएस में, वर्ष 2020-21 (अप्रैल - दिसम्बर) के लिये उपरोक्त आठ मदों में भिन्नताओं की रिपोर्ट एक ही रिपोर्टिंग अवधि के लिये की गई है लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया था। भिन्नताओं के बारे में मंत्रालय को बता दिया गया था और उत्तर प्रतीक्षित था।

(ख) सरकारी वित्त में भिन्नता

तालिका 4.6: 2020-21 के लिये सरकारी वित्त में भिन्नता (अप्रैल-नवम्बर)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एफ-2 के लिये निर्धारित प्रपत्र में क्रम संख्या	मद	एमईएफएस 2021-22	एमईएफएस 2022-23
1	8	कुल प्राप्तियां	19,06,358	8,30,851
2	10	ब्याज भुगतान	प्रदान नहीं	प्रदान नहीं
3	13	राजकोषीय घाटा	10,75,507	6,92,082
4	14	राजस्व घाटा	8,52,490	10,75,507
5	15	प्राथमिक घाटा	6,92,082	8,12,710

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिये एमईएफ विवरण

एमईएफएस 2022-23 में कुल प्राप्तियों को ₹8,30,851 करोड़ के रूप में दिखाया गया था, जो राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के कुल योग से मेल नहीं खाता। गणना के अनुसार यह आंकड़ा ₹19,06,358 करोड़ (₹8,12,710 + ₹10,93,648), राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का योग होता। इसके अलावा, ₹10,75,507 करोड़ के रूप में दिखाया गया राजस्व घाटा का आंकड़ा रिपोर्ट किए गए ₹6,92,082 करोड़ के राजकोषीय घाटे से अधिक था। इन विसंगतियों की सूचना मंत्रालय को दी गई थी; उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय

5

प्रकटीकरण और
पारदर्शिता

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

अध्याय

5

5.1 प्रकटीकरण विवरण

समय-समय पर संशोधित एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 में कहा गया है कि जनहित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते समय, निर्धारित प्रारूप (डी-1 से डी-5) में प्रकटीकरण करेगी। साथ ही, निर्धारित वित्तीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को भी एफआरबीएम नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह अध्याय सरकारी खातों में पारदर्शिता और नीचे तालिका 5.1 में नामित प्रकटीकरण विवरणों में दी गई जानकारी की जांच करता है।

तालिका 5.1: एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण विवरण

प्रकटीकरण विवरण का शीर्षक	
डी-1	कर राजस्व बढ़ा, लेकिन वसूल नहीं हुआ
डी-2	गैर-कर राजस्व का बकाया
डी-3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी
डी-4	संपत्ति रजिस्टर
डी-5	वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता

5.2 प्रकटीकरण विवरणों की जांच

अनिवार्य प्रकटीकरण विवरणों की जांच में अपर्याप्तता का पता चला जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.2.1 यूजीएफए के साथ तुलना में डी-2 में असंगत आंकड़े

'राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार' और 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों' से लंबित ब्याज प्राप्तियों के संबंध में, यह देखा गया कि रिपोर्टिंग वर्ष 2020-21 के लिए डी-2 फॉर्म में आंकड़े वर्ष 2020-21 के लिए यूजीएफए से भिन्न हैं। अंतर तालिका 5.2 में दिखाए गए हैं।

तालिका 5.2: ब्याज की बकाया राशि में विसंगति

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	ब्याज की बकाया राशि		
	डी-2 के अनुसार (प्राप्ति बजट 2022-23)	यूजीएफए 2020-21 के अनुसार	अंतर
राज्य/संघ क्षेत्र सरकार	1,752.43	4,261.23	2,508.80
सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों	36,491.91	38,045.39	1,553.48

स्रोत: प्राप्ति बजट 2022-23 तथा संघ सरकार के वित्त लेखा 2020-21

2017-19 और 2019-20 की पिछली सीएजी रिपोर्टों में इस मुद्दे को बार-बार उजागर किया गया है। मंत्रालय ने गैर-कर राजस्व के बकाया पर डी-2 विवरण के पुनर्मिलान का आश्वासन दिया (जून 2022), और कहा कि भविष्य के यूजीएफए, बजट तैयार करने से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

5.2.2(क) फॉर्म डी-3 में गारंटी की संख्या में अंतर

विवरण डी-3 केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के विवरणों का खुलासा करता है, जिन्हें छह अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। विवरणी की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

रिपोर्टिंग वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमिक डी-3 विवरण में दी गई वर्ग-वार गारंटियों की लेखापरीक्षा जांच में गारंटियों की संख्या के अंतिम और प्रारंभिक शेष में भिन्नता का पता चला जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: गारंटी की संख्या में अंतर

गारंटी का प्रकार	मंत्रालय / विभाग	2019-20 के अंत में गारंटियों की संख्या	2020-21 की शुरुआत में गारंटियों की संख्या	अंतर
वर्ग-1 ¹⁵	फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायनिक और उर्वरक मंत्रालय	9	4	5
वर्ग-3 ¹⁶	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	13	16	3

स्रोत: प्राप्ति बजट 2021-22 तथा 2022-23

¹⁵ भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान, नकद ऋण सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण और/या कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों और बैंकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए दी गई गारंटियां।

¹⁶ भारत सरकार (जीओआई) द्वारा मूलधन, ब्याज और/या ऋण आदि पर प्रतिबद्धता शुल्क के पुनर्भुगतान और/या सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति के लिए भुगतान हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋण देने वाली एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों आदि के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में दी गारंटियां हैं।

यूजीएफए 2020-21 में पृष्ठ 47 और पृष्ठ 53 पर फुटनोट द्वारा इन विविधताओं का खुलासा किया गया था। हालांकि, प्राप्ति बजट 2022-23 के फॉर्म डी3 में ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया था।

5.2.2(ख) गारंटियों की बकाया राशि में अंतर

रिपोर्टिंग वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमिक डी-3 विवरणों की जांच से तालिका 5.4 में दिए गए अनुसार वर्ग-3 की गारंटी के लिए बकाया राशि में अंतिम और प्रारंभिक शेष राशि में अंतर का पता चला।

तालिका 5.4: गारंटियों की बकाया राशि में अंतर

(₹ करोड़ में)

गारंटी का प्रकार	मंत्रालय	वर्ष 2019-20 के अंत में बकाया राशि	वर्ष 2020-21 की शुरुआत में बकाया राशि	अंतर
वर्ग -3 ¹⁷	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8,010.97	11,208.57	3,197.60

स्रोत: प्राप्ति बजट 2021-22 तथा 2022-23

यूजीएफए 2020-21 में पृष्ठ 53 पर फुटनोट द्वारा भिन्नता का खुलासा किया गया था। हालांकि, प्राप्ति बजट 2022-23 के फॉर्म डी3 में ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (जून 2022) मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि अब से किसी भी भिन्नता को आगामी केंद्रीय बजट में विवरण (डी3) में फुटनोट के रूप में प्रकट किया जाएगा।

5.2.3(क) फॉर्म डी-4 परिसंपत्ति रजिस्टर में अंतर

एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 6 (1) (सी) के अनुसार, केंद्र सरकार, वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करते समय, व्याख्यात्मक नोटों के साथ फॉर्म डी-4 में परिसंपत्तियों का विवरण का प्रस्तुत करेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परिसंपत्तियों के समापन शेष की तुलना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रारंभिक शेष राशि से करने पर, यह देखा गया कि 2020-21 में ₹4,867.61 करोड़ की परिसंपत्तियों को आगे नहीं बढ़ाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 5.5 में उल्लेख किया गया है।

¹⁷ भारत सरकार (जीओआई) द्वारा मूलधन, ब्याज और/या ऋण आदि पर प्रतिबद्धता शुल्क के पुनर्भुगतान और/या सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति के लिए भुगतान हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋण देने वाली एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों आदि के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में दी गारंटियां हैं।

तालिका 5.5: प्रपत्र डी-4 में परिसंपत्तियों के मूल्य में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2019-20 के अंत में परिसंपत्तियों का संचयी योग	2020-21 की शुरुआत में परिसंपत्ति	अंतर
18,90,382.55	18,85,514.94	4,867.61

स्रोत: प्राप्ति बजट 2022-23

पिछले रिपोर्टिंग वर्ष से रिपोर्टिंग वर्ष 2020-21 के अंत में भौतिक संपत्ति के मूल्य में ₹41.70 करोड़ और वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹4,825.91 करोड़ का अंतर था।

फॉर्म डी4 में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए एक फुटनोट दिया गया था जिसमें कहा गया था कि "पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष राशि के बीच भिन्नता मुख्य रूप से रेल मंत्रालय के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रेलवे सुरक्षा निधि में सुधार और विनिवेश को शामिल करने के कारण है। आर्थिक मामलों के विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनआईआईएफ लिमिटेड की कुछ परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया था; विद्युत मंत्रालय द्वारा पुनर्मिलान किया गया; भारी उद्योग विभाग आदि द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में की गई गलत प्रविष्टियों में सुधार किया गया"।

हालांकि, फुटनोट में भिन्नता के लिए मंत्रालय-वार स्पष्टीकरण बिना किसी विशिष्ट राशि के था, जिसके कारण ₹4,867.61 करोड़ की अंतर राशि का मिलान नहीं हुआ।

टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि अगले वित्तीय वर्ष से अंत के लिए, यदि कोई हो, मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में अलग-अलग फुटनोट शामिल किए जाएंगे।

5.2.3(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों के ऋण और अग्रिम के आंकड़ों में विसंगति

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि (i) विदेशी सरकारों और (ii) राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रति केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की फॉर्म डी-4 में दर्शाई गई 2020 21 के अंत में बकाया राशि और प्राप्ति बजट 2022-23 के विवरण संख्या 1(ii) और यूजीएफ में दिखाए गए आंकड़ों में अंतर था जैसा नीचे तालिका 5.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.6: वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण और अग्रिम) के आंकड़ों में विसंगति

(₹ करोड़ में)

मद	प्रपत्र डी-4	यूजीएफ और विवरण संख्या 1(ii) प्राप्ति बजट की परिसंपत्ति का विवरण	अंतर
विदेशी सरकारों को ऋण	15,848.80	14,456.20	1,392.60
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण	4,929.45	3,13,511.11	3,08,581.66

2022 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 18 में भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी। फॉर्म डी-4 में आंकड़ों को शामिल करने से पहले, मंत्रालय को यूजीएफए के संबंध में डेटा का मिलान करना चाहिए था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से यूबीआईएस के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई, और भविष्य के बजट में यूजीएफए के आंकड़ों के साथ अनुरूपता लाने और प्रति-परीक्षण करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

नई दिल्ली
दिनांक: 02 दिसम्बर 2022



(रोली शुकला माल्गो)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 07 दिसम्बर 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1
(पैरा 1.4 देखें)

बजट दस्तावेजों का विवरण

वित्त मंत्री के भाषण के अलावा संसद में पेश किए गए बजट दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	बजट दस्तावेजों में संकलन का नाम
1.	वार्षिक वित्तीय विवरण (ए एफ एस)
2.	अनुदान की मांग (डी जी)
3.	वित्तीय बिल
4.	एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति विवरण
	i. मैक्रो-इकोनोमिक फ्रेमवर्क सट्टेमेंट
	ii. मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह -राजकोषीय नीति रणनीति विवरण
5.	व्यय बजट
6.	प्राप्ति बजट
7.	व्यय प्रोफाइल
8.	बजट एक नजर में
9.	वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन
10.	आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
11.	बजट दस्तावेजों की कुंजी
12.	पिछले वर्ष में बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन

अनुलग्नक 3.1
(पैरा 3.2.2 देखें)
अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अवयव	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	वर्ष के दौरान दी गयी अधिकतम गारंटी	3,78,704.16	4,31,931.53	4,58,542.92	5,10,479.36	5,33,589.97
(2)	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	3,43,758.86	3,66,188.7	3,80,815.09	4,49,573.73	4,70,079.00
(3)	वर्ष के दौरान वृद्धि	34,945.3	65,742.83	77,727.83	60,905.63	63,510.97
(4)	कटौती (आवेदित राशी से भिन्न)	12,403.46	51,758.73	10,916.56	43,597.96	35,991.21
(5)	वर्ष के दौरान आवेदित	112	0	0	0	0
(6) (3-4-5)	कुल गारंटी	22,429.84	13,984.1	66,811.27	17,307.67	27,519.76
(7)	वर्ष के अंत में बकाया	3,66,188.7	3,80,172.8	4,47,626.36	4,66,881.4	4,97,598.76
(8)	जी डी पी	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914
(9)	जी डी पी के प्रतिशतता के रूप में वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि	2.46%	2.53%	2.43%	2.54%	2.69%
(10)	जी डी पी के प्रतिशतता के रूप में अतिरिक्त गारंटी	0.23%	0.38%	0.41%	0.32%	0.32%
(11)	जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में वर्ष के अंत में बकाया	2.38%	2.22%	2.37%	2.32%	2.51%

स्रोत : संबंधित वर्षों का यूजीएफए

अनुलग्नक 3.2
(पैरा 3.3.1 देखें)

अतिरिक्त बजट स्रोत का विवरण (ई बी आर)

(सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स एवं एन एस एस एफ ऋण और अन्य संसाधन)

(₹ करोड़ में)

भाग- क- सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स जारी करके ईबीआर जुटाए गए

मांग संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम/योजना का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 बीई	2021-22 आरई	2022-23 बीई
26	उच्च शिक्षा विभाग								
	शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों की पुनर्जिवित करना (आर आई एस ई)	---	---	---	---	---			
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग								
	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	---	---	---	---	---			
60	आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय								
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई)-शहरी	---	---	20,000.00	---	---			
62	जल संसाधन, नदी विकास व गंगा कायाकल्प विभाग								
	(i) पोलावरण सिंचाई परियोजना	---	---	1,400.00	1,850.00	2,243.20		751.80	
	(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य परियोजनाएं)	2,187.00	3,105.00	5,493.40	1,963.30	1,922.10			
63	पेयजल व स्वच्छता विभाग								
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	---	---	8,698.20	3,600.00	---	शून्य		शून्य
	(ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	---	---	---	---	---			
71	नवीन और नवीकणीय ऊर्जा मंत्रालय								
	(i) ग्रिड इंटरएक्टिव रिनॅवल पावर, ऑफ-ग्रिड/वितरित और वेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा	1,640.00	---	---	---	---			
	(ii) प्रधानमंत्री - किसान ऊर्जा संरक्षण इवाम उत्थान महा अभियान (पी एम - क्यू म)	---	---	---	---	---			

78	बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) परियोजना बिजली मंत्रालय	340.00	660.00	---	---	---			
79	(i) दीन दयाल उपाध्यय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	5,000.00	4,000.00	13,827.00	3,782.00	2,500.00			
	(ii) पावर सिस्टम डवलेपमेन्ट	---		5,504.70	---	---			
87	ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वार्ड)-ग्रामीण	---	7,330.00	10,678.80	10,811.00	19,999.80			
	कुल	9,167.00	15,095.00	65,602.10	22,006.30	26,665.10			751.80

भाग- ख - एनएसएसएफ से ऋण के साध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई

क्रम सं.	मंत्रालयों/विभागों के नाम/इकाई का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 बीई	2021-22 आरई	2022-23 बीई
1	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम	70,000.00	65,000.00	97,000.00	1,10,000.00	84,636.00	---		
2	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निर्माण सामग्री व प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	---	8,000.00	---	15,000.00	10,000.00	---		
3	उर्वरक विभाग धातु और खनिज व्यापार निगम	---	---	---	1,310.00		---		शून्य शून्य
4	अन्य सार्वजनिक एजेंसियों को समर्थन किसी विशिष्ट योजना/परियोजना यदि कोई हो के तहत अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए						30,000.00		
	कुल	70,000.00	73,000.00	97,000.00	1,26,310.00	94,636.00	30,000.00		
	कुल योग	79,167.00	88,095.00	1,62,602.10	1,48,316.30	1,21,301.10	30,000.00		751.80

टिप्पणियाँ:

- (i) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) को सरकार द्वारा जारी करके ईबीआरएस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹7,000 करोड़ तक के पूरी तरह से सेवित बांड एआईएचएल को हस्तांतरित एआईएस ऋण पुनर्वित्त के लिए दिया गया।

- (ii) रेलवे मंत्रालय को अपनी राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उधार के माध्यम से ₹10,200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹5,200 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹5,000 करोड़) तक की निधि की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। चुकौती देयता सरकार के सामान्य राजस्व पर वहन की जा रही है।
- (iii) 2017-18 में ₹80,000 करोड़, 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़ और 2019-20 में ₹65,443 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीएस) के पुनर्पूजीकरण के लिए डाले गए थे। इसके लिए 2021-22 में ₹15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- (iv) वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता का विवरण रसीद बजट 2022-23 के भाग-बी में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया वार्षिक देनदारी की राशि ₹38,775.72 करोड़ थी।
- (v) पोलावरम सिंचाई परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईबीआर को इस परियोजना के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था के अनुसार उठाया गया था। आगे के वित्त पोषण बजट से पूरा किया जा रहा है।

अनुलग्नक 4.1

(पैरा 4.1 देखें)

वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति व्यक्तय के प्रासंगिक अंश।

केंद्रीय बजट 2018-19

2019-20 और 2020-21 के लिए राजकोषीय आउटलुक

29. वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के संबंध में धारणाओं को उपरोक्त अनुभागों में न के बराबर रखा गया है। इसलिए, 2019-20 और 2020-21 में राजकोषीय लक्ष्यों की उपलब्धि, इन परस्पर जुड़े लक्ष्यों, विशेष रूप से देश में नाममात्र जीडीपी से संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि पर निर्भर है।

30. नए प्रस्तावित ढांचे में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजस्व घाटे के लक्ष्य पहले की तरह प्रमुखता का लाभ नहीं लेंगे। यह पूंजीगत व्यय के लिए वरीयता द्वारा बनाई गई विसंगति को दूर करने के लिए है जो उस ढांचे में निहित था जहां आरडी गिरावट की प्रवृत्ति का पालन कर रहा था। हालांकि, परिसंपत्ति के निर्माण के अलावा, स्थापित की गई परिसंपत्तियों के सही रखरखाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत जैसे संघीय देश में, सभी पूंजी-संबंधित हस्तांतरण जो सरकार राज्य सरकार की एजेंसियों को देती है जो कुछ योजनाओं को लागू करते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, मानव पूंजी के हिस्से के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मदों पर व्यय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक पूंजी पर। उदाहरण के लिए, अच्छी

तरह से प्रशिक्षित और पर्याप्त वेतन पाने वाले शिक्षकों और डॉक्टरों की उपस्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मजबूत अस्पताल और स्कूल की इमारतें की।

31. जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में विश्लेषण किया गया है, यह अनुमान है कि सरकार हाल के कराधान सुधार पहलों के लाभांश को प्राप्त करने के लिए निश्चित है। जबकि प्रत्यक्ष कर में परिवर्तन दर यह दर्शाता है कि विमुद्रीकरण के संबंध में लाभांश शायद पहले से ही शुरू हो रहे हैं, सरकार को विश्वास है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए कर आधार का विस्तार करने से केंद्र सरकार की राजकोषीय संभावनाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।

32. होरिजन में एक बड़ी अनिश्चितता राज्य सरकारों के सामने है। उदय बांडों का विमोचन होरिजन पर है और ये राज्य की वित्तीय गणनाओं पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकते हैं। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के युग में, जहां सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत पर सामान्य सरकारी ऋण की सीमा है, यह राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभाव के बारे में किसी का भी अनुमान है।

33. 2019-20 और 2020-21 में इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में बजट अनुमान 2018-19 और 2019-20 की तुलना में क्रमशः 14.3 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन वर्षों के लिए जीटीआर संबंधित वर्षों में ₹25,95,775 करोड़ और ₹29,77,350 करोड़ के पूर्ण लक्ष्य तक पहुंच गया। इन आंकड़ों में जीएसटी मुआवजा उपकर के कारण प्रत्येक वर्ष में ₹90,000 करोड़ की राशि भी शामिल है। इन बढ़ोतरी का मतलब है कि कर जीडीपी अनुपात 2019-20 में 12.4 फीसदी और 2020-21 में 12.7 फीसदी तक पहुंच जाएगा। इन उछालों को कर आधार के व्यापक होने के कारण जोड़ा गया है और इसलिए कर परिवर्तन में वृद्धि क्रमशः विमुद्रीकरण और जीएसटी से जुड़ी हुई है।

34. कर राजस्व पर उपरोक्त आंकड़ों के अलावा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का अन्य महत्वपूर्ण घटक सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां हैं। इनमें क्रमशः 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन दरों पर बढ़ते हुए, एनटीआर दो प्रासंगिक वर्षों में क्रमशः ₹2,65,867 करोड़ और ₹2,95,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 1.3 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है क्योंकि निजी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक साथ कदम भी उठाया जा रहा है।

35. व्यय के मोर्चे पर कुल सरकारी व्यय जिसका बजट 2018 -2019 (बी ई) में सकल घरेलू उत्पाद के 13.0 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है जो 2019-20 और 2020-21 में 0.3 प्रतिशत अंक घटकर 12.7 प्रतिशत हो जाएगा। व्यय प्रोफाइल में राजस्व पूंजी मिश्रण 2018-19 में बी ई 12.3 प्रतिशत, 2020-21 में 13 प्रतिशत के लगभग बढ़ने का अनुमान है।

संघीय बजट 2019-20

2020-21 और 2021-22 के लिए राजकोषीय आउटलुक

18. सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में 11.9 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। कर-जीडीपी अनुपात 2021-22 में बढ़कर 12.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। इन आंकड़ों में जीएसटी मुआवजा उपकर शामिल है। केंद्र सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियां 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है। 2020-21 और 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, एनटीआर के 2020-21 में ₹3,06,000 करोड़ और 2021-22 में ₹3,43,500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

19. 2019-20 की तुलना में 2020-21 और 2021-22 में कुल सरकारी खर्च कम दर से बढ़ने की उम्मीद है। मुख्य रूप से राजस्व व्यय के कारण घटी हुई वृद्धि दर की उम्मीद है। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय 2020-21 और

2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे पूंजीगत व्यय (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) 2020-21 में 12.8 प्रतिशत और 2021-22 में 13.8 प्रतिशत हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण भी 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 45.4 प्रतिशत और 43.4 प्रतिशत तक घटने की उम्मीद है। हालांकि ईबीआर को शामिल करने से यह आंकड़ा कुछ हद तक बढ़ जाएगा।

20. प्राप्तियों और व्यय की उपरोक्त धारणा के साथ, यह लक्षित वित्तीय पथ के साथ पकड़ने और वित्त वर्ष 2020-21 तक 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करने और उसके बाद जारी रहने की उम्मीद है। वित्त आयोग की अवधि के साथ व्यय का युक्तिकरण और योजनाओं का तालमेल वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसके लिए प्रमुख चालक होगा। जीएसटी सुधारों का पूरा लाभ वित्तीय वर्ष 2020-21 से मिलना शुरू हो जाना चाहिए और उसके बाद स्थायी वित्तीय पथ सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए। लेकिन कुछ जोखिम कारक भी स्वीकार किया जाना आवश्यक हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के अक्टूबर, 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशें 2020-21 से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण के लिए आधार तैयार करेंगी। इसके अलावा, समग्र राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिति का भी राजकोषीय मापदंडों पर प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय संकेतकों में अंतर्निहित धारणाएं -

राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व

21. 2020-21 और 2021-22 के लिए प्राप्तियों का अनुमान पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार बनाया गया है। सकल कर राजस्व, जिसका अनुमान बीई 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद का 12.1 प्रतिशत था, अब जीएसटी शासन को स्थिर करने में संक्रमणकालीन मुद्दों के कारण आरई 2018-19 में 11.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। बजट अनुमान 2019-20 में जीटीआर का बजट ₹25,52,131 करोड़ रखा गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 12.1 प्रतिशत है। जीटीआर के 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 12.2 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष कर पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में 14.9 प्रतिशत और 15.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का अनुमान आधार मामला परिदृश्य है जो कर दरों या स्लैब या आयकर अधिनियम, 1961 में किसी भी प्रावधान जैसे संरचनात्मक परिवर्तन होने पर भिन्न हो सकता है। निगम कर के लिए आठ साल की औसत उछाल 0.99 और 1.02 है और व्यक्तिगत आयकर के लिए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः 1.52 और 1.55 है।

22. सीमा शुल्क का अनुमान इस धारणा के साथ लगाया गया है कि सीमा शुल्क नाममात्र जीडीपी के समान दर से बढ़ेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में,

एमएस एचएसडी पर/विशिष्ट दर संरचना के कारण, औसत पेट्रोलियम क्षेत्र की खपत वृद्धि जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा गया है। तदनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2021-22 में 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। अप्रत्यक्ष करों की गणना क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में 8.4 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत बढ़ने की है।

23. जीटीआर में साल-दर-साल वृद्धि आरई 2018-19 में 17.2 प्रतिशत और बीई 2019-20 में 13.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, जीटीआर 2018-19 के संशोधित अनुमान में ₹22,48,175 करोड़ और बजट अनुमान 2019-20 में ₹25,52,131 करोड़ होने का अनुमान है। आरई 2018-19 के लिए प्रत्यक्ष कर अनुमान ₹12,00,000 करोड़ है जो 2017-18 की तुलना में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और 2018-19 के बजट अनुमान से ₹50,000 करोड़ अधिक है। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, बजट अनुमान 2018-19 के दौरान बजटीय आंकड़ों से कम रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि आर ई 2018-19 के संशोधित अनुमान में अप्रत्यक्ष कर ₹10,42,833 करोड़ होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2019-20 में अप्रत्यक्ष करों का बजट '₹11,66,188 करोड़' रखा गया है।

गैर-कर-राजस्व - नीतिगत रुख

24. गैर-कर राजस्व सरकार की राजस्व प्राप्तियों का एक प्रमुख घटक है और अब

इसे इस विवरण में राजकोषीय संकेतक के रूप में भी शामिल किया गया है। एनटीआर में आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभांश शामिल हैं। एनटीआर का एक अन्य प्रमुख घटक ऋण पर ब्याज प्राप्तियां हैं। ब्याज ज्यादातर उन राज्यों से प्राप्त होता है, जिन्होंने कुछ पहले की अवधि में केंद्र सरकार से ऋण लिया है। अन्य एनटीआर प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्तियां, उपयोगकर्ता शुल्क और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

25. उम्मीद है कि गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 2020-21 में 12.2 प्रतिशत और 2021-22 में 12.3 प्रतिशत होगी। कुल मिलाकर, यह अनुमान है कि मध्य अवधि में एनटीआर जीडीपी के 1.3 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा। आरई 2018-19 में, एनटीआर 2017-18 की तुलना में 27.2 प्रतिशत और बीई 2019-20 में पिछले वर्ष की तुलना में 11.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

राज्य -वित्त आयोग को अंतरण

26. संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 में राज्यों को अंतरण का बजट क्रमशः ₹1,06,129 करोड़ और ₹1,31,902 करोड़ है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए राज्यों को अंतरण XIV वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों पर आधारित है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक लागू हैं। वर्तमान में, 2020-21 और

2021-22 से राज्यों को हस्तांतरण की कोई धारणा या अनुमान लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि यह 15वें वित्त आयोग की अवधि में आएगा।

पूँजीगत प्राप्तियां ऋण की वसूली

27. गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों के दो मुख्य घटक हैं, अर्थात ऋण और अग्रिम की वसूली और 9 विनिवेश प्राप्तियां। 2018-19 के संशोधित अनुमान में ऋणों की वसूली ₹13,155 करोड़ रखी गई है और 2019-20 में बजटीय राशि ₹12,508 करोड़ है। मध्य अवधि में 2020 -21 और 2021-22 दोनों में ₹11,000 करोड़ रहने का अनुमान है।

अन्य गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां

28. विनिवेश गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों का दूसरा प्रमुख घटक है। सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री पर सरकार को विनिवेश प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री भी शामिल है। विनिवेश प्राप्तियां, जिनका बजट अनुमान 2018-19 में ₹80,000 करोड़ था, संशोधित अनुमान 2018-19 में समान स्तर पर रहने की उम्मीद है। 2019-20 में विनिवेश का बजट ₹90,000 करोड़ है। यह अनुमान है कि 2020-21 और 2021-22 में विनिवेश प्राप्तियां प्रति वर्ष ₹80,000 करोड़ होंगी।

उधार लोक ऋण और अन्य देयताएं

29. 2018-19 में, भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से, बायबैंक / स्विच को छोड़कर,

क्रमशः ₹6,05,539.36 करोड़ और ₹3,90,120.49 करोड़ का बजट किया गया था, सकल उधारी में 2.98 प्रतिशत की वृद्धि और शुद्ध उधारी में 0.52 प्रतिशत की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधारों का बजट सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 62.4 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए रखा गया था। अन्य स्रोतों जैसे कि ट्रेजरी बिलों से शुद्ध उधारी, लघु बचत संग्रह, राज्य भविष्य निधि, शुद्ध बाहरी सहायता और नकद निकासी को जीएफडी के शेष 37.5 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए बजट दिया गया था।

30. कुल केंद्र सरकार की देनदारियों में से, लगभग 93.8 प्रतिशत घरेलू हैं और 6.2 प्रतिशत मार्च 2018 के अंत तक बाह्य हैं। दिनांकित प्रतिभूतियां मुख्य रूप से घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास हैं, प्रमुख धारक वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां और भविष्य निधि हैं। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की निरंतर मजबूत मांग, एक मजबूत प्राथमिक डीलरों के नेटवर्क का तात्पर्य है कि 2019-20 के लिए उधार कार्यक्रम आराम से पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए संशोधित निवेश सीमा, होल्डिंग शर्तों में छूट के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों में ऐसे और अधिक निवेशकों को लाने की उम्मीद है।

31. सकल बाजार उधारी ₹6,05,539 करोड़ के बीई स्तरों से घटकर ₹5,71,000 करोड़ के स्तर पर आ गया है। यह आंशिक रूप से राजकोषीय घाटे की आवश्यकताओं के

वित्तपोषण के लिए एनएसएसएफ से उपयोग की जाने वाली ₹50,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि से इसकी पूर्ति होगी। 2019-20 के लिए सकल बाजार उधारी की आवश्यकता का बजट ₹7,10,000 करोड़ रखा गया है, जिसमें ₹2,36,878 करोड़ का पुनर्भुगतान शामिल है। सांकेतिक शब्दों में, शुद्ध बाजार उधारी अनुमान पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 8.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से शुद्ध बाजार उधार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.5 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में घटकर 2.25 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 के दौरान बाह्य ऋण के माध्यम से उधार को मोटे तौर पर समान स्तर पर रहने का अनुमान है। बाजार उधार जीएफडी का लगभग 60 प्रतिशत वित्तपोषित करता है। बीई 2019-20 में शुद्ध बाजार उधारी सकल घरेलू उत्पाद का 2% होने का अनुमान है, अगले दो वर्षों में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत तक गिरावट की संभावना है और राजकोषीय घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति के अनुरूप 2021-22 में 1.8 प्रतिशत होने की संभावना है।

32. विशेष रूप से एफआरबीएम अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद, ऋण -जीडीपी अनुपात 2001-02 में 61.4 प्रतिशत से लगातार गिरावट देखने के बाद स्थिर हो गया। मार्च 2018 के अंत में सरकारी देनदारियां सकल घरेलू उत्पाद का 50.5 प्रतिशत थीं। 2018-19 के अंत तक इनके 48.9 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान

है। गिरावट की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए इसके 2019 -20 में 47.3 प्रतिशत, 2020-21 में 45.4 प्रतिशत और 2021-22 में 43.4 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है। यह, प्राथमिक घाटे में कमी के साथ, सांकेतिक ब्याज दरों पर मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

33. मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्रयासों से सरकार को मध्य अवधि में लाभ होगा, मुद्रास्फीति कम होने से भारत सरकार की नए उधारी की लागत में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान में कमी आएगी। सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में उत्तरोत्तर कमी से ब्याज का बोझ कम होगा और सरकार को अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बिना अन्य सामाजिक रूप से उत्पादक क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए अधिक स्थान मिलेगा।

कुल व्यय

34. बजट अनुमान 2018-19 में कुल व्यय ₹ 24,42,213 करोड़ था जिसे संशोधित कर आर ई अनुमान के दौरान ₹24,57,235 करोड़ कर दिया गया है। यह बजट अनुमान से ₹15,022 करोड़ (0.6 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है। आरई में कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत है। वृद्धि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण हुई है। आरई 2018-19 में बीई की तुलना में एक और बड़ी वृद्धि ब्याज भुगतान के कारण हुई है जिसमें ₹11,775 करोड़ की वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए भी ₹ 7,625 करोड़ की वृद्धि प्रदान की गई है। रक्षा सेवाओं को छोड़कर पूंजीगत

परिव्यय ने भी ₹8,424 करोड़ की वृद्धि दिखाया। अनुमान है कि कुल व्यय संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में 14.7 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 के बजट अनुमान में ₹27,84,200 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 13.3 प्रतिशत है।

35. 2020-21 और 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय की वृद्धि क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत के गिरावट की संभावना है। राजस्व व्यय 2020-21 और 2021-22 में पहले की तुलना में धीमी दर से बढ़ने की उम्मीद है जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 11.2 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद के 11.0 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाएगा। पूंजीगत व्यय को चलाने का अनुमान है कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2020-21 और 2021-22 में कुल व्यय वृद्धि 2020-21 में 12.8 प्रतिशत और 2021-22 में क्रमशः 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गई।

राजस्व खाता

36. संशोधित अनुमान 2018-19 में राजस्व व्यय ₹21,40,612 करोड़ आंका गया है जो कि बी ई अनुमान से ₹1,160 करोड़ कम है। 2019-20 में राजस्व व्यय के लिए बीई के आंकड़े ₹24,47,907 करोड़ है जो संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में ₹3,07,295 करोड़ (14.4 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। बीई 2018-19 में राजस्व व्यय जो कि कुल व्यय का 87.7 प्रतिशत अनुमानित था, 2018-19 के संशोधित अनुमानों में घटकर 87.1 प्रतिशत हो गया है। 2019-20 में इसके बढ़कर 87.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। हालांकि मध्य अवधि

में, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2020-21 में घटकर 87.2 प्रतिशत और 2021-22 में 86.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मुख्य कारण ब्याज दर के मोर्चे पर सकारात्मक अपेक्षाएं और बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी का युक्तिकरण है।

37. सरकार के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केंद्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय और वित्त आयोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और अन्य स्थानान्तरण के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को किए गए राजस्व हस्तांतरण शामिल हैं। अन्य स्थानान्तरण श्रेणी में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकारों को हस्तांतरण शामिल है, केंद्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान भी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय की प्रकृति में भी हैं। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

ब्याज भुगतान

38. ब्याज भुगतान केंद्र के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है। बजट अनुमान 2018-19 में ब्याज भुगतान व्यय ₹25,75,795 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 33.4 प्रतिशत था। आर ई 2018-19 में ब्याज भुगतान को बढ़ाकर ₹5,87,570 करोड़ कर दिया गया, जो आर ई राजस्व प्राप्ति का 34 प्रतिशत होने की उम्मीद है। आरई में प्राप्तियां ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति अनुपात में गिरावट इसलिए है क्योंकि ₹11,775 करोड़ के ब्याज भुगतान व्यय में

वृद्धि राजस्व प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों में बीई (₹3,944 करोड़) से अधिक की वृद्धि से अधिक है। 2019-20 में, ब्याज भुगतान के लिए ₹6,65,061 करोड़ खर्च होने की उम्मीद है जो राजस्व प्राप्तियों का 33.6 प्रतिशत है। मध्य अवधि में ब्याज भुगतान में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि ट्रेड वॉर और उच्च तेल की कीमतों से संबंधित वैश्विक अनिश्चितताओं से मुद्रा पर दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे सकारात्मक प्रतिक्रिया और ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 2020-21 और 2021-22 में कुल ब्याज भुगतान क्रमशः 32.1 प्रतिशत और 30.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

जीडीपी वृद्धि

46. जीएसटी की शुरुआत के कारण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन के कारण 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में थोड़ी गिरावट देखी गई। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की गति में पुनरुद्धार, जिसे लघु से मध्य अवधि में माना गया था, पहले से ही महसूस किया जा रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि 2017-18 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2018-19 में नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद 12.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। लघु से मध्य अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की उम्मीद है स्थिर और मौजूदा स्तरों पर स्थिर। 2019-20 में, नॉमिनल जीडीपी के 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने और ₹2,10,07,439 करोड़ के स्तर को प्राप्त करने की उम्मीद है। 4 प्रतिशत की लक्षित दर पर मुद्रास्फीति के स्थिर होने के कारण

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट का अनुमान है। 2020-21 और 2021-22 में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वास्तविक रूप में, 2020-21 और 2021-22 के लिए विकास दर क्रमशः ₹2,35,52,637 करोड़ और ₹2,64,56,112 करोड़ है।

संबंधित स्थिरता का आंकलन

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन:

47. कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (शुद्ध) और गैर-कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। इसके बीई 2018 -19 में ₹17,25,738 करोड़ से आरई 2018-19 में ₹17,29,682 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। कर राजस्व (निवल) आरई 2018-19 में ₹14,84,406 करोड़ अनुमानित है जो बीई अनुमान से ₹3,757 करोड़ अधिक है। यह जीडीपी का 7.9 फीसदी रहने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2018-19 में गैर-कर राजस्व प्राप्तियां भी ₹2,45,276 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है जो कि बजट अनुमान से ₹187 करोड़ अधिक है। हालांकि राजस्व व्यय में 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 2018-19 में ₹1,160 करोड़ कम होने का अनुमान है। इसलिए मध्य अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य 2018 में 2.2 प्रतिशत का राजस्व घाटा लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।

48. बजट अनुमान 2019-20 में, कुल राजस्व प्राप्तियां ₹19,77,693 करोड़ होने की उम्मीद है जो संशोधित अनुमान 2018-19 की तुलना में 14.3 प्रतिशत की

वृद्धि को दर्शाता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह 9.4 प्रतिशत है। कर राजस्व (शुद्ध) का बजट ₹17,05,046 करोड़ है जो सकल घरेलू उत्पाद का 8.1 प्रतिशत है। बजट अनुमान 2019-20 में गैर-कर राजस्व ₹2,72,647 करोड़ रहने का अनुमान है। 2018-19 और 2019-20 में एनटीआर जीडीपी के 1.3 प्रतिशत पर स्थिर है। व्यय पक्ष पर, बजट अनुमान 2018-19 में राजस्व व्यय ₹24,47,907 करोड़ है जो सकल घरेलू उत्पाद का 11.7 प्रतिशत है। राजस्व घाटे की गणना ₹4,70,214 करोड़ की गई जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत है।

49. 2020-21 और 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.2 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत बढ़ने और जीडीपी के 9.4 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है। कर राजस्व (शुद्ध) और गैर-कर राजस्व 2019-20 के स्तर पर क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रहने की उम्मीद है। हालांकि, राजस्व व्यय में मध्य अवधि में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कम दर से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2020-21 में 11.2 प्रतिशत और 2021-22 में 11.0 प्रतिशत हो जाएगा। इससे राजस्व घाटा 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत हो जाएगा।

50. हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि नए एफआरबीएम ढांचे में, राजस्व घाटा अब एफआरबीएम अधिनियम में एक लक्षित

राजकोषीय संकेतक नहीं है। प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी) जो कि राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है, को भी राजकोषीय लक्ष्य के रूप में हटा दिया गया है। इन पर पहले के पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

केंद्रीय बजट 2020-21

बीई 2020-21 के लिए राजकोषीय आउटलुक

9. 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 फीसदी रहने का अनुमान है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधार उपायों के कारण है, जीटीआर को बीई 2020-21 में ₹24,23,020 करोड़ का बजट दिया गया है जो आरई 2019-20 पर ₹2,59,597 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष कर पिछले वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 के बजट अनुमान में ₹13,19,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बीई 2020-21 में अप्रत्यक्ष करों का बजट ₹10,99,520 करोड़ है, जो आरई 2019-20 की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 2020-21 में गैर-कर राजस्व संग्रह का बजट ₹3,85,017 करोड़ है जो आरई 2019-20 पर 11.4 की वृद्धि को दर्शाता है।

10. बजट अनुमान 2020-21 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का बजट ₹2,24,967 करोड़ रखा गया जो आरई 2019-20 की तुलना में ₹1,43,363 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थान से विनिवेश प्राप्तियों

में ₹90,000 करोड़ की राशि का बजट किया गया है। आरई 2019-20 में ₹7,66,848 करोड़ की तुलना में 2020-21 में कुल शुद्ध उधार ₹7,96,337 करोड़ अनुमानित है।

11. 2020-21 में कुल व्यय ₹30,42,230 करोड़ आंका गया है जो कि संशोधित अनुमान 2019-20 की तुलना में ₹3,43,678 करोड़ (12.7 प्रतिशत) की वृद्धि है। बजट अनुमान 2020-21 में राजस्व व्यय ₹26,30,145 करोड़ होने का अनुमान है जो सालाना आधार पर 11.9 फीसदी की वृद्धिको दर्शाता है। 2019-20 में 1.7 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में पूंजीगत व्यय बढ़कर ₹4,12,085 करोड़ हो जाने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत है।

आरई 2020-21 के लिए राजकोषीय आउटलुक

10. सरकार की राजकोषीय नीति घाटे में क्रमिक कमी और राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रगतिशील गति द्वारा निर्देशित है। सरकार एक सख्त राजकोषीय योजना बनाए रखने की आवश्यकता से पूरी तरह परिचित है। हालांकि, निरंतर बदलते घरेलू और वैश्विक परिदृश्य और चुनौतियों के बीच देश की परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक विकास और समृद्धि के आलोक में, एफआरबीएम लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी राजकोषीय अनम्यता उचित नहीं होगी। वर्तमान संदर्भ में, आर्थिक विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

11. सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत के बजट स्तर की तुलना में आरई 2020-21 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 9.5 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है। यह वृद्धि कोविड-19 महामारी के आलोक में सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के कारण बढ़े हुए व्यय और राजस्व प्राप्तियों (कर और गैर-कर दोनों) में तेज गिरावट और विनिवेश प्राप्तियों में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति का संशोधित अनुमान बीई 2020-21 में ₹2,24,967 करोड़ के बजट के मुकाबले ₹46,497 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का निरपेक्ष मूल्य संशोधित अनुमान 2020-21 में संशोधित कर ₹18,48,655 करोड़ किया गया है, जो कि बीई 2020-21 के राजकोषीय घाटे के अनुमानों से ₹10,52,318 करोड़ अधिक है।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) अनुमान में ₹5,22,740 करोड़ की कमी मुख्य रूप से निगम कर और 10 सीमा शुल्क के अनुमानित संग्रह से कम होने के कारण आई है। अप्रत्यक्ष करों का बजट बीई 2020-21 के लिए ₹10,99,520 करोड़ रखा गया था जिसे संशोधित कर आरई 2020-21 में ₹9,92,219 करोड़ कर दिया गया है। आरई 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रह को ₹13,19,000 करोड़ के बजट के मुकाबले ₹9,05,000 करोड़ और गैर कर राजस्व को ₹3,85,017 करोड़ से संशोधित कर ₹2,10,000 करोड़ कर दिया गया है। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें ऋण और अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां

शामिल हैं, का अनुमान बीई 2020-21 में ₹2,24,967 करोड़ था, जिसे संशोधित कर आरई 2020-21 में ₹46,497 करोड़ कर दिया गया है। कुल शुद्ध उधारी का बजट 5,35,869.62 करोड़ था जिसे संशोधित कर आरई 2020-21 में ₹12.74 लाख करोड़ करना है।

13. आरई 2020-21 में बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में ₹4,08,075 करोड़ की वृद्धि के साथ कुल व्यय ₹34,50,305

करोड़ होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 के अनंतिम वास्तविक से 28.4 प्रतिशत अधिक है। राजस्व व्यय को बीई 2020-21 में ₹26,30,145 करोड़ से संशोधित कर ₹30,11,142 करोड़ और पूंजीगत व्यय को बीई 2020-21 में ₹4,12,085 करोड़ से बढ़ाकर ₹4,39,163 करोड़ कर दिया गया है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनंतिम वास्तविक के मुकाबले सालाना आधार पर 30.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

अनुलग्नक 4.2
(पैरा 4.3 देखें)

2020-21 के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (फार्म-फ-2 में)

मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एक नजर में आर्थिक प्रदर्शन)					
क्रं. स.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत बदलाव	
		अप्रैल-दिसंबर		अप्रैल-दिसंबर	
		2020-21	2020-21	2020-21	2020-21
वास्तविक क्षेत्र					
1	बाजार मूल्य पर जी डी पी (₹ हजार करोड़)				
	क) मौजूदा कीमतों पर [@]	19746	23215	-3.0	17.6
	ख) 2011-12 की कीमतों पर	13513	14754	-7.3	9.2
2	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12=100) ^{@@}	108.5	127.4	-15.3	17.4
3	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100) [^]	121.8	137.0	0.04	12.5
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : संयुक्त (2012=100)	154.9	162.9	6.6	5.2
5	पैसों की आपूर्ति (₹ हजार करोड़)	18059.1	19741.9	12.4	9.3
6	मौजूदा कीमतों पर आयात [*]				
	क) ₹ करोड़ में	19.56.257	32.98.495	-23.7	68.6
	ख) यू एस मिलियन \$ में	262.8	443.8	-27.9	68.9
7	मौजूदा कीमतों पर निर्यात [*]				
	क) ₹ करोड़ में	15.00.020	22.38.821	-10.6	49.3
	ख) यू एस मिलियन \$ में	201.4	301.4	-15.5	49.7
8	ट्रेड बेलेंस (यू एस मिलियन \$ में) [*]	-61.4	-142.4		
9	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत में)				
	क) करोड़ में	4280252	4707812	30.5	43.5
	ख) यू एस मिलियन में	585771	633614	27.4	8.2
10	चालू खाता शेष (यू एस बिलियन \$ में) [#]	34.4	-3.0		

सरकार वित्त (₹ करोड़ में)##					
		अप्रैल-नवंबर			
1	राजस्व प्राप्तियां	812710	1358920	-17.3	67.2
	सकल कर राजस्व	1026055	1541920	-12.6	50.3
	कर (केन्द्र शुद्ध)	688430	1135264	-8.3	64.9
	गैर कर	124280	223026	-46.6	79.5
2	पूंजीगत प्राप्तियां	1093648	716317	30.7	-34.5
	जिनमें ऋण की वसूली	11962	11339	9.6	-5.2
	अन्य प्राप्तियां	6179	9364	-65.9	51.5
	उधार और अन्य देनदारिया	1075507	695614	33.1	-35.3
3	कुल प्राप्तियां(1+2)	830851	1378993	-17.9	66.0
4	कुल व्यय	1906358	2074607	4.7	8.8
	क)राजस्व व्यय	1665200	1800977	3.7	8.2
	ख)पूंजीगत व्यय	241158	273630	12.8	13.5
5	राजस्व घाटा	1075507	695614	33.1	-35.3
7	राजकोषिय घाटा	692082	235291	48.5	-66.0
8	प्राथमिक घाटा	812710	1358920	-17.3	67.2

@ जी डी पी अप्रैल में मार्च तक है और 2021-22 अंतिम अनुमान है और 2020-21 पहला अग्रिम अनुमान है।

@@ अप्रैल से नवंबर

^ 2020-21 के लिए अंतिम और अप्रैल-मई 2020 के महीनों के लिए सी.पी आई-सी लगाए गए हैं जो कोविड-19 महामारी के कारण अवलोकन के सीमित संघ पर आधारित है।

*सीमा शुल्क के आधार पर।

\$ 17 दिसम्बर 2021 की बकाया है और साल-दर-साल प्रतिशत परिवर्तन

अप्रैल-सितंबर

लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवम्बर 2021 के मासिक खातों के आकड़ों के आधार पर, वित्त मंत्रालय और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से नवम्बर की वृद्धि।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in